

यूपीएससी ईपीएफओ मासिक सामयिकी जून 2020

राजनीति एवं शासन

"पी.एम. केयर्स", आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है: पी.एम.ओ.

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) ने पी.एम. केयर्स फंड के निर्माण और संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया है, उन्होंने यह कहते हुए सूचना के अधिकार आवेदक को इंकार कर दिया कि यह कोष आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के दायरे में "एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं" है।
- आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के दूसरे 2(h) के अनुसार, पी.एम. केयर्स कोष एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है।
- हालांकि, पी.एम. केयर्स कोष के संबंध में प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट "pmcares.gov.in" पर देखी जा सकती है।



PM CARES
Prime Minister's Citizen Assistance and Relief
in Emergency Situations Fund

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण का गठन कौन करता है?

- अधिनियम की प्रासंगिक धारा "सार्वजनिक प्राधिकरण" को "स्व-सरकार द्वारा स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या निकाय या संस्थान" के रूप में परिभाषित करती है -
 - संविधान के अंतर्गत या द्वारा
 - संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा
 - राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा
 - उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा और इसमें निम्न में से कोई भी शामिल किया जा सकता है:
 - स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय
 - गैर-सरकारी संगठन, मुख्य रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित संगठन

क्या पी.एम.एन.आर.एफ., आर.टी.आई. अधिनियम के अधीन है?

- इस संदर्भ में अस्पष्टता है कि क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.), आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अधीन है या नहीं है।
- केंद्रीय सूचना आयोग ने वर्ष 2008 में पी.एम.एन.आर.एफ. को जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया था।
- हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस सवाल पर एक अलग राय दी थी कि क्या पी.एम.एन.आर.एफ., अधिनियम के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock
Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने "आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त" की बहाली का आदेश दिया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार, उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश पंचायती राज (दूसरा संशोधन) अध्यादेश (2020 की संख्या 5) को खारिज कर दिया है, जिसके माध्यम से उसने राज्य चुनाव आयुक्त (एस.ई.सी.) के कार्यकाल को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया है।
- इसके परिणामस्वरूप राज्य चुनाव आयुक्त के पद से निम्मागड्डा रमेश कुमार का निष्कासन होगा।



राज्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में जानकारी

a) संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 243K, एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे।
- यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-K और 243-ZA के अंतर्गत गठित किया गया था।
- यह भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित करता है।
- संविधान के अंतर्गत, स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों की स्थापना, राज्यों की जिम्मेदारी (प्रवेश 5, सूची II, सातवीं अनुसूची) है।

b) नियुक्ति

- अनुच्छेद 243 (C3) के अनुसार, राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराता है, जो दिए गए कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

c) कार्यकाल

- राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार होनी चाहिए।

d) सुरक्षा

- राज्य चुनाव आयुक्त को उनके कार्यालय से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आधार और तरीके के समान छोड़कर नहीं हटाया जाएगा।


नोट:

- एक न्यायाधीश को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय ए.आई. पोर्टल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. मंत्री ने www.ai.gov.in नामक भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया है।



पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

- यह संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. मंत्रालय और आई.टी. उद्योग द्वारा विकसित किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. मंत्रालय की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और आई.टी. उद्योग से नैसकॉम के संयुक्त रूप से इस पोर्टल को चलाएंगे।

कार्य

- यह पोर्टल भारत में ए.आई.- संबंधित विकासों, लेखों, स्टार्टअप्स, ए.आई. में निवेश फंड्स, संसाधनों, कंपनियों और भारत में ए.आई. से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों जैसे संसाधनों के साझाकरण के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा।
- यह पोर्टल दस्तावेजों, केस स्टडी, शोध रिपोर्टों आदि को भी साझा करेगा। इसमें ए.आई. से संबंधित अधिगम और नई नौकरी की भूमिकाओं के बारे में एक अनुभाग है।

युवा कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार ए.आई.

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं कानून और न्याय मंत्री, रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, "युवाओं के लिए जिम्मेदार ए.आई." लॉन्च किया है।

युवा कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार ए.आई. के संदर्भ में जानकारी

- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. मंत्रालय द्वारा इंटेल इंडिया के सहयोग के साथ ही स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओ.एस.ई. & एल.) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समर्थन से बनाया और लांच किया गया है।
- राष्ट्रीय कार्यक्रम, सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में देश भर के केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों (के.वी.एस., एन.वी.एस., जे.एन.वी. सहित) में कक्षा 8-12 तक के छात्रों के लिए खुला है।

कार्यक्रम का उद्देश्य



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे देश के युवा छात्रों को एक मंच प्रदान करना और उन्हें उपयुक्त नए युग की तकनीक मानसिकता, प्रासंगिक ए.आई. कौशल-सेट और आवश्यक ए.आई. टूल-सेट तक पहुंच प्रदान करना है जिससे कि उन्हें भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार किया जा सके।
- यह युवाओं को ए.आई. रूप से तैयार करने के लिए सशक्त बनाएगा और युवाओं को सार्थक सामाजिक प्रभाव समाधान बनाने में सक्षम करते हुए कौशल अंतर को कम करने में मदद करेगा।
- यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों के छात्रों से पूरे भारत के छात्रों तक पहुँचने के लिए डिज़ाइन किया गया है और उन्हें समावेशी रूप से कुशल कार्यबल का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करता है।

चरणबद्ध प्रकार से लागू किया जाएगा

- कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और इसके पहले चरण में, प्रत्येक राज्य शिक्षा विभाग पात्रता मानदंडों के अनुसार दस शिक्षकों को नामांकित करेगा। शिक्षक पात्रता मानदंड को पूरा करके स्वयं को नामांकित भी कर सकते हैं।
- इन शिक्षकों को उन्मुखीकरण सत्र प्रदान किया जाएगा, जिसका उद्देश्य आधार को समझने और 25-50 संभावित छात्रों की पहचान करने में मदद करना है।
- पहचाने गए छात्र ए.आई. पर ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र में भाग लेंगे और समझेंगे कि ए.आई. का उपयोग करके बनाए जाने वाले सामाजिक प्रभाव विचारों/ परियोजनाओं की पहचान कैसे करें और प्रस्तावित ए.आई.-सक्षम समाधान की व्याख्या करने वाले 60 सेकंड के वीडियो के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करें।


कोविड-19 के लिए शीघ्र प्रतिक्रिया विनियामक सक्षम तंत्र

खबरों में क्यों है?

- जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने जैव सुरक्षा विनियमन को सुप्रवाही बनाने के लिए और पुनरावर्ती डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी और खतरनाक सूक्ष्मजीवों में अनुसंधान और विकाय कार्य करने वाले शोधकर्ताओं और उद्योगों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई सक्रिय उपाय किए हैं।



Government of India
Department of Science & Technology
Ministry of Science & Technology



डी.बी.टी. द्वारा की गई पहल:

- A. भारतीय जैव सुरक्षा ज्ञान पोर्टल का संचालन



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock
Tests of State PCS Exams


CHECK HERE

- मई, 2019 में लांच किए गए भारतीय जैव सुरक्षा ज्ञान पोर्टल को पूरी तरह से संचालित किया गया था और अब विभाग केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी नए आवेदन प्राप्त कर रहा है।
 - इसने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बना दिया है।
- B. जी.ई. जीवों और उत्पाद के आयात, निर्यात और विनिमय पर संशोधित सरलीकृत दिशानिर्देश**
- विभाग ने जनवरी, 2020 में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें आर.जी.1 और आर.जी.2 वस्तुओं के लिए अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए जी.ई. जीवों और उत्पादों के आयात-निर्यात और विनिमय के आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए संस्थागत जैव सुरक्षा समिति को प्रत्यायोजित प्राधिकरण के रूप में घोषित किया है।
- C. कोविड-19 पर अनुसंधान और विकास की सुविधा**
- डी.बी.टी. ने कोविड पर निम्नलिखित दिशानिर्देश, आदेश और जांच-सूची जारी किए हैं:
 - टीके, निदान, रोग निरोधक और चिकित्सा विधान के विकास के लिए एक आवेदन से निपटने के लिए कोविड-19 के लिए शीघ्र प्रतिक्रिया विनियामक ढांचे को 20.03.2020 को अधिसूचित किया गया है।
 - डी.बी.टी. ने 08.09.2020 को "कोविड-19 नमूना से निपटने हेतु प्रयोगशाला जैवसुरक्षा पर अंतरिम दिशानिर्देश दस्तावेज" अधिसूचित किया है।
 - आई.बी.एस.सीएस को 30 जून, 2020 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बैठक आयोजित करने की अनुमति है।
 - पुनः संयोजक डी.एन.ए. कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए शीघ्र प्रतिक्रिया विनियामक ढांचा 26.05.2020 को जारी किया गया था।

पी.एम. स्व निधि (SVANidhi)

खबरों में क्यों है?

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.ए.) ने हाल ही में फेरीवालों को सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष सूक्ष्म-ऋण सुविधा योजना- पी.एम. स्वनिधि (SVANidhi)- पी.एम. फेरीवाला आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की है।



पी.एम. स्वनिधि के संदर्भ में जानकारी

- इस योजना में, एक विक्रेता 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकता है। जो अगले एक वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाने योग्य है।

- यह योजना ऋण की समय पर/ जल्दी चुकौती पर ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए प्रावधान प्रदान करती है जिससे कि विक्रेता को आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर जाने की अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

यह योजना कई कारणों से अद्वितीय है:

A. ऐतिहासिक रूप से पहली:

- यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पेरी-शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों के फेरीवाले, शहरी आजीविका कार्यक्रम के लाभार्थी बन गए हैं।
- विक्रेता 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जो एक वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाने योग्य है।
- ऋण की समय पर/ जल्दी चुकौती करने पर, 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से छह-मासिक आधार पर जमा की जाएगी। ऋण की जल्दी चुकौती पर कोई जुर्माना नहीं होगा।
- यह पहली बार है कि एम.एफ.आई./ एन.बी.एफ.सी./ एस.एच.जी. बैंकों को उनकी जमीनी स्तर की खराब उपस्थिति और सड़क विक्रेताओं सहित शहरी गरीबों के साथ निकटता के कारण शहरी गरीबों के लिए योजना में अनुमति प्रदान की गई है।

B. डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना:

- यह योजना फेरीवालों द्वारा मासिक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करती है।

C. क्षमता निर्माण पर ध्यान देना:

- एमओ.एच.यू.ए. ने राज्य सरकारों, डे-एन.यू.एल.एम., यू.एल.बी., सिडबी, सी.जी.टी.एम.एस.ई., एन.पी.सी.आई. और डिजिटल भुगतान एग्रीगेटरों के राज्य मिशन पूरे देश में सभी हितधारकों और आई.ई.सी. गतिविधियों के क्षमता निर्माण और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
- यह जून के दौरान शुरू किया जाएगा और जुलाई में ऋण देना शुरू हो जाएगा।

वित्त आयोग ने शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर एक बैठक का आयोजन किया है।

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, 15वें वित्त आयोग ने पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ वायु गुणवत्ता (ए.क्यू.) से संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर एक बैठक की है।



इस बैठक में अद्वितीय क्या है?

- यह याद किया जा सकता है कि एक्स.वी.एफ.सी. रिपोर्ट 2020-2021 में पहली बार किसी भी आयोग ने वायु गुणवत्ता (ए.क्यू.) पर मुख्य रूप से ध्यान दिया है।
- वित्त आयोग ने न केवल 2020-21 के लिए अनुदान की सिफारिश की थी बल्कि इसकी पुरस्कार अवधि के लिए एक रोडमैप प्रदान किया था।
- आयोग वर्तमान में 2021-22 से 2025-26 तक अगले पांच वर्षों के लिए की जाने वाली सिफारिशों पर विचार-विमर्श कर रहा है।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए इन शहरों/ यू.एएस. के लिए अनुदान जारी रखने के लिए उपयुक्त प्रावधान तैयार करने की आवश्यकता है।

बैठक का उद्देश्य

- बैठक का उद्देश्य दस लाख से अधिक शहरों में ए.क्यू. को बेहतर बनाने के लिए अनुदान को प्रशासित करने हेतु 2020-21 के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा करने पर केंद्रित है।
- इसमें वर्ष 2021 से 2026 तक अगले पांच वर्षों के लिए क्या विचार किया जाना चाहिए, इस पर मंत्रालय से इनपुट मांगे गए हैं।

मुख्य विशेषताएं

- ए.क्यू. मापन पर विश्वसनीय डेटा के संदर्भ में**
 - यह बताया गया है कि यह शहरों और कस्बों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले स्टेशनों का एक नेटवर्क है, जो राष्ट्रीय वायु नियंत्रण के अंतर्गत स्थापित किए गए थे।
- अपने उद्देश्यों को पूरा करने हेतु प्रदूषण (एन.ए.सी.पी.)**
 - ए.क्यू.आई. के नेटवर्क के माध्यम से निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं, भौगोलिक क्षेत्र के किनारे इन्हें और अधिक मजबूत और सटीक बनाने के लिए एयर-शेड क्षेत्रों को कवर करने के लिए इन्हें मजबूत और विस्तारित करने की आवश्यकता है।
 - मंत्रालय ने इस काम को पहले एन.ए.सी.पी. के रोल-आउट के भाग के रूप में शुरू किया है और विभिन्न शहरों/ कस्बों के लिए आई.आई.टी./ आई.आई.एम. और एन.आई.टी. जैसे विभिन्न प्रबुद्ध मंडलों को स्थानीय भागीदार बनाया गया है।
 - जैसा कि ए.क्यू. की समस्या अधिकांशतः एक स्थानीय घटना नहीं है और यह किसी विशेष क्षेत्र के नियंत्रण से परे कई कारकों से प्रभावित है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) अब एयर-शेड प्रबंधन दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
 - निर्माण एवं विनाश अपशिष्ट प्रबंधन, सरकार की प्राथमिकता थी और सरकार इसके लिए आयोग का समर्थन चाहती थी।
- 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में जानकारी**
 - यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर, 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया था।
 - इसकी सिफारिशें अप्रैल, 2020 से मार्च, 2025 तक पांच वर्ष की अवधि को कवर करेंगी।

चैंपियंस (CHAMPIONS): एम.एस.एम.ई. को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी मंच

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, जिसका पूरा नाम क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इन्क्रीसिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रैथ है।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
[CHECK HERE](#)



CHAMPIONS
(Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength)

Detailed objectives of CHAMPIONS:

Grievance Redressal: To resolve the problems of MSMEs including those of finance, raw materials, labor, regulatory permissions etc particularly in the Covid created difficult situation

To help them capture new opportunities: including manufacturing of medical equipments and accessories like PPEs, masks, etc and supply them in National and International markets;

To identify and encourage the sparks: i.e. the potential MSMEs who are able to withstand the current situation and can become national and international champions.

चैंपियंस के संदर्भ में जानकारी

- यह पोर्टल मूल रूप से छोटी इकाइयों की शिकायतों को सुलझाकर, उन्हें प्रोत्साहित करके, उनका समर्थन करके, उनकी मदद करके और उनका सहयोग करके बड़ा बनाने के लिए है।
- यह एम.एस.एम.ई. मंत्रालय का वास्तविक वन-स्टॉप-शॉप समाधान है।
- यह आई.सी.टी. आधारित प्रणाली, एम.एस.एम.ई. की वर्तमान कठिन परिस्थितियों में मदद करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने के लिए उनका सहयोग करने हेतु स्थापित की गई है।

चैंपियंस के उद्देश्य:

- शिकायत निवारण: यह एम.एस.एम.ई. की समस्याओं को हल करने में मदद करता है, जिनमें वित्त, कच्चे माल, श्रम, विनियामक अनुमति आदि शामिल हैं, विशेष रूप से कोविड द्वारा उत्पन्न की गई मुश्किल स्थिति शामिल है।
- यह एम.एस.एम.ई. मंत्रालय का एक वास्तविक वन-स्टॉप-शॉप समाधान है, जिससे उन्हें नए अवसरों को कैप्चर करने में मदद मिलती है।
- a. पी.पी.ई., मास्क आदि जैसे चिकित्सा उपकरणों और सहायक उपकरण के विनिर्माण और उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आपूर्ति करना
- b. स्पाक्स को पहचानना और प्रोत्साहित करना: यह संभावित एम.एस.एम.ई. है, जो वर्तमान स्थिति का सामना कर सकता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बन सकता है।
- जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह पोर्टल मूल रूप से छोटी इकाइयों की शिकायतों को सुलझाकर, उन्हें प्रोत्साहित करके, उनका समर्थन करके, उनकी मदद करके और उनका सहयोग करके बड़ा बनाने के लिए है।

एगशेल नियम

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रेलवे दावा अधिकरण (आर.सी.टी.) के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मरने वाले कई प्रवासियों के परिवारों को "एगशेल सिद्धांत" के अंतर्गत मुआवजा दिया जा सकता है।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- रेलवे अधिनियम के अंतर्गत, "प्रतिकूल घटना" नामक किसी भी घटना में किसी भी यात्री के मरने या घायल होने पर मुआवजे की मांग की जा सकती है।
- एक सिद्धांत है जिसे एगशेल नियम कहा जाता है, जिसमें एक व्यक्ति जो पहले से ही नाजुक है, उसके साथ यदि कोई एक अप्रिय घटना (होती है) घटित हो जाती है।



एगशेल सिद्धांत की पृष्ठभूमि

- वर्ष 2018 में आर.सी.टी. के फैसले में एक यात्री के परिजनों को 8 लाख रुपये दिए गए थे, जिसकी ट्रेन की अपर बर्थ से गिरने से मृत्यु हो गई थी, न्यायमूर्ति कन्नन (पूर्व आर.सी.टी. अध्यक्ष) ने कहा है कि-
हालांकि अकेले बीमारी के कारण किसी यात्री की मृत्यु मुआवजे के लिए आधार नहीं है, लेकिन कानून में "एगशेल" सिद्धांत ऐसे मुआवजे के लिए अनुमति प्रदान करता है।
- वर्ष 2018 के मामले में, रेलवे ने दावा किया था कि पीड़ित की मृत्यु इसलिए हो गई थी क्योंकि उसे पहले से बीमारी थी- श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में हुई मौतों के मामले में इस स्थिति के समान ही विचार किया जा रहा है हालांकि, बाद में मुआवजे का भुगतान किया गया था।

रेलवे दावा अधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- रेलवे प्रशासन के खिलाफ दावों का त्वरित निपटान प्रदान करने के लिए रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 को अधिनियमित किया गया था।
- रेलवे दावा अधिकरण की प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है।
- इसमें पृच्छाछ और निर्धारण के लिए रेलवे दावा अधिकरण की स्थापना भी शामिल है-
- रेलवे द्वारा ले जा रहे या उसके द्वारा सौंपे जाने वाले पशुओं या सामानों के नुकसान, विनाश, क्षति, हानि या वितरण के लिए रेलवे प्रशासन के खिलाफ दावा
- रेलवे दुर्घटना या अप्रिय घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए किराए या माल भाड़े का मुआवजा या क्षतिपूर्ति देना
- इसके अतिरिक्त या आकस्मिक रूप से इनसे संबंधित मामलों के लिए

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोत्साहन योजनाएं

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, दूरसंचार एवं आई.टी. मंत्री ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 48,000 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ तीन प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं।
- ये तीन योजनाएँ हैं-
 - a. उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन घटक विनिर्माण योजना

b. संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह



उत्पादन लिंक प्रोत्साहन के संदर्भ में जानकारी

- उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पी.एल.आई.) के अंतर्गत, जो मोबाइल फोन विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर लक्षित है, सरकार प्रारंभ में 10 फर्मों- पांच वैश्विक और पांच स्थानीय फर्मों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है।

इलेक्ट्रॉनिक घटक एवं अर्धचालक विनिर्माण संवर्धन योजना (एस.पी.ई.सी.एस.) के संदर्भ में जानकारी

- यह इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की पहचान की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- ये इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक घटक, अर्धचालक/ डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, असेंबली, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी.एम.पी.) यूनिट हैं, पूर्वोक्त उत्पादों के विनिर्माण के लिए विशिष्ट सब-असेंबली और पूंजीगत सामान हैं।

संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह (ई.एम.सी. 2.0) योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह योजना सामान्य सुविधाओं और साधनों के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करेगी, जिसमें प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं के साथ उनकी आपूर्ति श्रृंखला को आकर्षित करने के लिए रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आर.बी.एफ.) शेड/ प्लग और प्ले सुविधाएं शामिल हैं।

कृषि क्षेत्र को बदलने हेतु मंत्रिमंडल की पहल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई प्रमुख और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो कृषि क्षेत्र को बदलने के साथ-साथ भारत के किसानों की मदद करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे।



आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन

- मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के लिए एक ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी प्रदान की है, जो कृषि के परिवर्तन और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है।

किसानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं

- जब कि भारत अधिकांश कृषि-वस्तुओं में अधिशेष बन गया है और कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर कीमतें नहीं मिल पा रही हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम पर तलवार लटकने के कारण उद्यमशीलता की भावना उत्साहहीन हो गई है।
- बम्पर फसल होने पर, विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं की फसल अधिक होने पर किसानों को भारी नुकसान होता है।
- पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ इस अपव्यय को कम किया जा सकता है।

लाभ

- आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के साथ अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया जाएगा।
- इससे निजी निवेशकों की अपने व्यावसायिक कार्यों में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप की आशंकाएं समाप्त हो जाएंगी।
- उत्पादन करने, रखने, स्थानांतरण, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का दोहन होगा और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र/ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा।
- यह कोल्ड स्टोरेज में निवेश करने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में मदद करेगा।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना

- सरकार ने विनियामक पर्यावरण का उदारीकरण करते हुए यह भी सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए।
- यह संशोधन में प्रदान किया गया है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में ऐसे कृषि खाद्य पदार्थों को विनियमित किया जा सकता है।
- हालांकि, एक मूल्य श्रृंखला प्रतिभागी की स्थापित क्षमता और एक निर्यातक की निर्यात मांग को इस तरह की स्टॉक सीमा को लागू करने से छूट रहेगी जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि में निवेश को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता है।
- घोषित संशोधन, किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मूल्य स्थिरता में लाने में मदद करेगा।
- यह प्रतिस्पर्धी बाजार का माहौल बनाएगा और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होने वाले कृषि-उपज के अपव्यय को भी रोकेगा।

कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अध्यादेश, 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने कृषि उपज में बाधा मुक्त व्यापार के लिए 'कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अध्यादेश, 2020' को मंजूरी प्रदान की है।



पृष्ठभूमि

- भारत में वर्तमान समय में किसान अपनी उपज के विपणन में विभिन्न प्रतिबंधों से ग्रस्त हैं।
- अधिसूचित ए.पी.एम.सी. बाजार क्षेत्र के बाहर कृषि उपज बेचने के लिए किसान प्रतिबंधित है।
- किसान केवल राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंसधारियों को उपज बेचने के लिए भी प्रतिबंधित है।

लाभ

- अध्यादेश, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा, जहां किसान और व्यापारी पसंदीदा कृषि-उपज की बिक्री और खरीद की स्वतंत्रता का आनंद लेंगे।
- यह राज्य कृषि उपज विपणन कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा देगा।
- यह देश में व्यापक रूप से विनियमित कृषि बाजारों को खोलने का एक ऐतिहासिक कदम है।
- यह किसान के लिए अधिक विकल्प खोलेगा, किसानों के लिए विपणन लागत कम करेगा और उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा।
- इससे अधिशेष उपज वाले क्षेत्रों के किसानों को बेहतर मूल्य मिलने और कम उपज और कम लागत वाले क्षेत्रों के उपभोक्ता को भी मदद मिलेगी।
- यह अध्यादेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करने के लिए हस्तांतरण मंच में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार का भी प्रस्ताव करता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत किसानों से अपने उत्पादों की बिक्री के लिए कोई उपकर या शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, किसानों के लिए एक पृथक विवाद समाधान तंत्र होगा।

एक भारत, एक कृषि बाजार


- इस अध्यादेश का उद्देश्य ए.पी.एम.सी. बाजार क्षेत्र के बाहर अतिरिक्त व्यापार के अवसर पैदा करना है जिससे कि अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा के कारण किसानों को पारिश्रमिक मूल्य मिल सके।
- यह मौजूदा एम.एस.पी. खरीद प्रणाली को पूरक करेगा, जो किसानों को स्थिर आय प्रदान कर रही है।

- यह निस्संदेह 'एक भारत, एक कृषि बाजार' बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और हमारे मेहनती किसानों के लिए सुनहरी फसल सुनिश्चित करने की नींव रखेगा।

स्वदेश (SWADES)- रोजगार समर्थन हेतु कुशल श्रमिक आगमन डेटाबेस

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के अंतर्गत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास का संचालन करने के लिए एक नई पहल स्वदेश (SWADES)- रोजगार समर्थन हेतु कुशल श्रमिक आगमन डेटाबेस लॉन्च की है।



स्वदेश के संदर्भ में जानकारी

- यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है।
- देश में उपयुक्त प्लेसमेंट के अवसरों के लिए एकत्रित जानकारी को कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा।
- लौटने वाले नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश कौशल कार्ड भरना आवश्यक है।
- स्वदेश कौशल कार्ड के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा से नागरिकों को नौकरी की संभावनाएं और मांग-आपूर्ति के अंतर को भरने में मदद मिलेगी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी उपभोग की वस्तुओं को नियंत्रण मुक्त करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है।



आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में नए संशोधन

- अध्यादेश ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 में एक नई उपधारा (1ए) पेश की है।
- यह संशोधित कानून कृषि खाद्य पदार्थों अर्थात अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, आलू और असाधारण परिस्थितियों में आपूर्ति के "विनियमन" के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, जिसमें असाधारण मूल्य वृद्धि, युद्ध, अकाल और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं।

'आवश्यक वस्तु' की परिभाषा

- आवश्यक वस्तु अधिनियम में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है।
- अधिनियम की धारा 2(ए) में कहा गया है कि "आवश्यक वस्तु" का अर्थ इस अधिनियम की "अनुसूची" में निर्दिष्ट वस्तु है।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को "अनुसूची" में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने की शक्तियां प्रदान करता है।
- केंद्र, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके किसी वस्तु को आवश्यक के रूप से अधिसूचित कर सकता है।
- वर्तमान में, "अनुसूची" में 9 वस्तुएं शामिल हैं, जो कि- दवाएं, उर्वरक, चाहे अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित, खाद्य तेलों सहित खाद्य पदार्थ, पूर्णतया कपास से बना हुआ धागा, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट वस्त्र, खाद्य-फसलों के बीज और फल और सब्जियों के बीज, मवेशियों के चारे के बीज, जूट के बीज, कपास के बीज, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर हैं।

हाल ही में, अनुसूची में शामिल की गई वस्तुएं

- इस अनुसूची में जोड़ी गई नवीनतम वस्तुएं फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर हैं, जिन्हें कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर 13 मार्च, 2020 से आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया गया था।

प्रभाव

- किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है और भंडारण की सीमा लागू कर सकती है।

शहरी शिक्षण इंटरनेट कार्यक्रम (ट्यूटोरियल)

खबरों में क्यों है?

- मानव संसाधन विकास मंत्री और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने संयुक्त रूप से 'शहरी शिक्षण इंटरनेट कार्यक्रम (ट्यूटोरियल)' के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।



ट्यूलिप के संदर्भ में जानकारी

- वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 'आकांक्षी भारत' थीम के अंतर्गत बजट 2020-21 घोषणाओं के अंतर्गत ट्यूलिप की कल्पना की गई है।
- यह देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटरनशिप के अवसर प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम है।
- ट्यूलिप को ऊर्जा प्रदान करने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म खोज, संलग्नता, एकत्रीकरण, प्रवर्धन और पारदर्शिता को सक्षम बनाता है।
- यह प्लेटफॉर्म अनुकूलन योग्य है और सुविधाजनक पहुंच की अनुमति देने के लिए यू.एल.बी./ स्मार्ट शहरों और इंटरन को अत्यधिक लचीलापन प्रदान करता है।
- सुरक्षा सुविधाओं का पूरी तरह से परीक्षण किया गया है और प्लेटफॉर्म को डिजाइन द्वारा मापनीय, संघबद्ध और पारदर्शी बनाया गया है।

पात्रता

- कोई भी स्नातक छात्र जिसने बी.टेक, बी. आर्कीटेक्चर, बी. प्लान, बी.एससी. आदि की पढ़ाई पूरी की है, वह अपने स्नातक पूर्ण होने की तारीख से 18 महीने के भीतर आवेदन कर सकता है।

लाभ

- इससे न केवल इंटरन को शहरी स्थानीय निकायों की व्यापक गतिविधियों में हाथों का अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलेगी बल्कि एक ऐसा संसाधन बनाने में भी मदद मिलेगी, जिस पर उद्योगों को काम पर रखने के लिए शीघ्र आकर्षित किया जा सकता है।

शामिल किए गए निकाय

- ए.आई.सी.टी.ई., प्लेटफॉर्म के लिए तकनीकी सहायता और कार्यक्रम गैर-तकनीकी सहायता के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री (एम.आएच.यू.ए.) द्वारा पांच वर्षों में एंकर किया जाएगा।

नोट:

- एम.आएच.यू.ए. के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति समय-समय पर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेगी।

पी.एम.-कुसुम योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने धोखाधड़ी करने वाली उन वेबसाइटों के खिलाफ लोगों के लिए एक चेतावनी जारी की है, जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पी.एम.-कुसुम (KUSUM)) योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल होने का दावा करते हैं।



पी.एम.-कुसुम (KUSUM) योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह अभियान देश में सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर और अन्य नवीकरणीय बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों के लिए है।
- इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट तक की सौर और अन्य नवीकरणीय क्षमता जोड़ना है।

योजना के तीन घटक हैं:

- A. घटक-A: बंजर और ऊसर भूमि पर 2 मेगावाट तक की व्यक्तिगत संयंत्र क्षमता के 10 गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना
- B. घटक-B: 7.5 एच.पी. तक की क्षमता के 17.5 लाख स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना करना
- C. घटक-C: 7.5 एच.पी. की पंप क्षमता के 10 लाख मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण करना

लाभ

- यह ग्रामीण भूस्वामियों के लिए उनकी सूखी/ अनुपयोगी भूमि के उपयोग से 25 वर्षों के लिए आय का एक स्थायी और निरंतर स्रोत खोलेगा।

मातृ मृत्यु दर को कम करने हेतु टास्कफोर्स का गठन किया गया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी अध्यक्ष जया जेटली हैं।



टास्कफोर्स के संदर्भ में अधिक जानकारी

- केंद्रीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के अपने बजट भाषण में महिलाओं के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की थी।
- यह टास्क फोर्स नवजात से संबंधित निम्न मुद्दों की जांच करेगी:
 - a. मृत्यु दर

 **Gradeup Green Card**
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams [CHECK HERE](#)

- b. मातृ मृत्यु दर
- c. कुल प्रजनन क्षमता दर
- d. जन्म के समय लिंग अनुपात
- e. बाल लिंग अनुपात (सी.एस.आर.)
- f. स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कोई अन्य मामले
 - यह महिलाओं के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपाय भी सुझाएगा।

संबंधित शर्तें

मातृ मृत्यु दर

- यह प्रति 100,000 जीवित जन्मों में मातृ मृत्युओं की वार्षिक संख्या है।
- मातृ मृत्यु, गर्भवस्था समाप्त होने के 42 दिनों के भीतर या गर्भवती होने के दौरान एक महिला की मृत्यु है।
- यह बच्चे के जन्म से पहले, जन्म के दौरान और जन्म के बाद में माताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार करने के प्रयासों के लिए एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक है।
- वर्ष 2015-2017 के आंकड़ों के अनुसार, भारत का एम.एम.आर. 122 है।

नवजात मृत्यु दर

- इसे "दिए गए वर्ष के लिए प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या" के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार, प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर भारत का आई.एम.आर. 33 मौतें हैं।

कुल प्रजनन क्षमता दर

- आयु-विशिष्ट प्रजनन दर की वर्तमान अनुसूची के अनुसार, प्रति महिला (या प्रति 1,000 महिलाओं) जन्म बच्चों की संख्या है, यदि वह/ वे प्रसूति वर्षों के दौरान बच्चों के जन्म के साथ गुजरना चाहती हैं।
- भारत का टी.एफ.आर. प्रति महिला 2.24 जन्म है।

जन्म के समय लिंग अनुपात


- इसे प्रति महिला जन्मों में पुरुष जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
- जन्म के समय भारत का लिंग अनुपात 919 है।

बाल लिंग अनुपात

- भारत में, बाल लिंग अनुपात को प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि मानव आबादी में 0-6 वर्ष की आयु तक हैं।

नगर वन योजना

- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, सरकार ने नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है।
- इस योजना का उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करके शहरी क्षेत्रों में वन आच्छादन बढ़ाना है।
- यह वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेटों के बीच लोगों की भागीदारी और सहयोग के साथ लागू की जाएगी।



अनुदान

- इसे क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि अधिनियम (सी.ए.एम.पी.ए.), 2016 की निधियों द्वारा हिस्सों में वित्तपोषित किया जाएगा।

वर्ज शहरी वन या स्मृति वन के संदर्भ में जानकारी

- यह पुणे की एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना है, जो 16.8 हेक्टेयर बंजर वर्ज पहाड़ी को हरे जंगलों में परिवर्तित करने में सफल रही है।
- वर्ज पहाड़ी, महाराष्ट्र वन विभाग के अंतर्गत बंजर भूमि थी।

पृथक परिवहन हेतु हवाई बचाव पॉड (ARPIT)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय वायु सेना ने पृथक परिवहन हेतु हवाई बचाव पॉड (ARPIT) का डिजाइन, विकास और निर्माण किया है।



पृथक परिवहन हेतु हवाई बचाव पॉड के संदर्भ में जानकारी

- इस पॉड का उपयोग संक्रामक रोगों जैसे कोविड-19 वाले गंभीर रोगियों की निकासी के लिए किया जाएगा, जिसमें अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, पृथक और दूरदराज के स्थान शामिल हैं।
- इस प्रणाली को विमानन प्रमाणित सामग्री से बनी हल्की पृथक्करण प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है।
- अर्पित डिजाइन आवश्यकताओं को विकसित किया गया है और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच.एफ.डब्ल्यू.), राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड

(एन.ए.बी.एच.) और रोग नियंत्रण केंद्र (सी.डी.सी.), संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है।

शिक्षण में वार्षिक रिफ्रेशर कार्यक्रम (ARPIT)

- मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) द्वारा वर्ष 2018 में शिक्षण में वार्षिक रिफ्रेशर कार्यक्रम (ARPIT) शुरू किया गया है।
- यह व्यापक ओपेन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एम.ओ.ओ.सी.एस.) प्लेटफॉर्म SWAYAM का उपयोग करके 15 लाख उच्च शिक्षा संकाय के ऑनलाइन व्यावसायिक विकास हेतु एक पहल है।

व्यापक ओपेन ऑनलाइन पाठ्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- एम.ओ.ओ.सी., एक निशुल्क वेब-आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, जो भौगोलिक रूप से बिखरे हुए छात्रों की बड़ी संख्या की भागीदारी के लिए बनाया गया है।

SWAYAM पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

- SWAYAM प्लेटफॉर्म, स्वदेशी रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) और अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा ओपेन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से विकसित किया गया है।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है।
- केंद्र सरकार ने जम्मू और श्रीनगर को उन स्थानों के रूप में निर्दिष्ट किया है, जहां जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की खंडपीठें सामान्यतः स्थापित की जाएंगी।



केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- संविधान के अनुच्छेद 323-ए के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी।
- यह सरकार के नियंत्रण में संघ या अन्य प्राधिकरणों के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों और भर्ती से संबंधित विवादों और शिकायतों का समाधान प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 323-ए के अनुसरण में, संसद ने 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया था।

- यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है।

ऑनलाइन नईमिशा 2020 कार्यक्रम

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, संस्कृति मंत्रालय ने ऑनलाइन नईमिशा 2020 नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की है।



ऑनलाइन नईमिशा 2020 के संदर्भ में जानकारी

- यह राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम है।
- ऑनलाइन नईमिशा 2020 कार्यक्रम में, चित्रकला कार्यशाला, मूर्तिकला कार्यशाला, प्रिंटमेकिंग और इंद्रजाल अर्थात द मैजिक ऑफ आर्ट (स्वतंत्रता को समझने के लिए अंतःविषय रचनात्मक कार्यशाला) नामक चार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
- कार्यक्रम का शीर्षक नईमिशा है, जो एक पवित्र स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां लोग अपनी श्रद्धा या भक्ति रखते हैं।


सौर जोखिम शमन पहल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, विश्व बैंक ने 22 अफ्रीकी देशों के लिए 333 मिलियन डॉलर के साथ एक सौर जोखिम शमन पहल (एस.आर.एम.आई.) का संचालन किया है।


सौर जोखिम शमन पहल के संदर्भ में जानकारी

- यह विश्व बैंक द्वारा एगेंसे फ्रैनकाइस डी डेवलपमेंट (ए.एफ.डी.), अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आई.आर.ई.एन.ए.) और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य स्थायी सौर कार्यक्रमों को विकसित करने में देशों का समर्थन करना है, जो निजी निवेशों को आकर्षित करेगा और इस प्रकार सार्वजनिक वित्त पर निर्भरता को कम करेगा।



अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में जानकारी

- यह 120 से अधिक देशों का एक गठबंधन है, जिनमें से ज्यादातर धूप वाले देश हैं, जो या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आते हैं।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य सामूहिक रूप से जीवाश्म आधारित ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा के कुशल दोहन हेतु काम करना है।
- इसका मुख्यालय भारत में अपने अंतरिम सचिवालय के साथ गुडगांव में स्थापित है।



पृष्ठभूमि

- यह पहल भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सबसे पहले लंदन के वेम्बले स्टेडियम में अपने भाषण के दौरान प्रस्तावित की गई थी।
- यह पहल भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में शुरू की गई थी और नवंबर, 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के वर्ष 2015 के सम्मेलन से पहले उनके मध्य एक बैठक आयोजित की गई थी।

आरोग्यपथ: स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक वेब-आधारित समाधान

खबरों में क्यों है?

 **Gradeup Green Card**
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
[CHECK HERE](#)

- हाल ही में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आरोग्यपथ पोर्टल लॉन्च किया है, जो स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला के लिए एक वेब-आधारित समाधान है, जो महत्वपूर्ण आपूर्ति की वास्तविक समय उपलब्धता प्रदान करता है।



आरोग्यपथ के संदर्भ में जानकारी

- अरोग्यपथ कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाले वर्तमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की सेवा करेगा।

दृष्टिकोण

- यह एक मार्ग प्रदान करने में मदद करता है, जो एक व्यक्ति को आरोग्य (स्वस्थ जीवन) की यात्रा की ओर ले जाता है।


महत्व

- यह निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं की कुशलतापूर्वक ग्राहकों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने में मदद करेगा, उनके और निकटतम पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं, मेडिकल स्टोर, अस्पतालों आदि जैसे संभावित मांग केंद्रों बीच कनेक्टिविटी में बाधाओं को दूर करेगा।
- यह खरीदारों के विस्तारित स्लेट और उत्पादों के लिए नई आवश्यकताओं की दृश्यता के कारण व्यवसाय विस्तार के अवसर भी पैदा करेगा।
- समय के साथ, इस प्लेटफार्म से विश्लेषिकी से उम्मीद की जाती है कि वे अति-क्षमता के साथ-साथ उभरती हुई कमियों पर भी निर्माताओं को शुरूआती संकेत दें।
- यह अपर्याप्त पूर्वानुमान और अधिक विनिर्माण के कारण संसाधनों के अपव्यय को कम करने में मदद करेगा, नई प्रौद्योगिकियों की मांग के संदर्भ में जागरूकता पैदा करेगा।

समायोजित सकल राजस्व मुद्दा

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने दूरसंचार ऑपरेटरों को समायोजित सकल राजस्व बकाया के कंपित भुगतान पर विवरण प्रदान करने के लिए कहा है, जैसा कि दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है।



ए.जी.आर. और मुद्दे क्या हैं?

- ए.जी.आर. को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंसकरण शुल्क में विभाजित किया गया है जो क्रमशः 3-5 प्रतिशत और 8 प्रतिशत के बीच आंका गया है।
- डी.ओ.टी. के अनुसार, शुल्कों की गणना एक टेलको द्वारा अर्जित संपूर्ण राजस्व के आधार पर की जाती है, जिसमें गैर-दूरसंचार संबंधित स्रोत जैसे जमा ब्याज और परिसंपत्ति बिक्री भी शामिल हैं।
- टेलकोस ने अपनी ओर से जोर दिया है कि ए.जी.आर. में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व शामिल होना चाहिए।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपने सिफारिश पत्र में सेक्टर की कई मांगों जैसे परिसंपत्तियों और प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ के आधार पर लाभांश और पूंजीगत लाभ से आय का अपवर्जन पर सहमति व्यक्त की है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का विनियामक है।

संरचना

- इसमें एक अध्यक्ष होता है और दो से अधिक पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते हैं और दो से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होते हैं।


दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- ट्राई अधिनियम को एक अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया था, जो 24 जनवरी, 2000 से प्रभावी था, ट्राई से अधिनिर्णय संबंधी और विवाद कार्यों को लेने के लिए एक दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टी.डी.एस.ए.टी.) की स्थापना की गई थी।

सहकार मित्र योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने युवा व्यवसायियों के लिए इंटरनशिप कार्यक्रम पर सहकार मित्र योजना शुरू की है।



सहकार मित्र योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) की एक पहल है।
- इस योजना को उद्देश्य सहकारी संस्थानों की युवा व्यवसायियों के नए और अभिनव विचारों तक पहुंचने में मदद करना है। इसी समय, इंटरन आत्मनिर्भर होने के लिए क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्राप्त करेंगे।

पात्रता

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, आई.टी. आदि जैसे विषयों में पेशेवर स्नातकों और कृषि व्यवसाय, सहयोग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि में एम.बी.ए. की डिग्री प्राप्त पूरी करने वाले अथवा वर्तमान में प्राप्त कर रहे भी पात्र होंगे।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के संदर्भ में जानकारी

- यह एक सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, जिसे 1963 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है।

नोट:


युवा सहकार योजना

- यह भी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा लागू की जाती है जिससे कि युवा उद्यमियों को सस्ते ऋण प्रदान करके सहकारी क्षेत्र में स्टार्ट-अप हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

विकलांग व्यक्तियों (ए.डी.आई.पी.) हेतु सहायता योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत सरकार की ए.डी.आई.पी. योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए ब्लॉक स्तर पर सहायक सहायता सामग्री और उपकरणों के मुफ्त वितरण हेतु एक वर्चुअल ए.डी.आई.पी. शिविर, पंजाब के फिरोज़पुर जिले में आयोजित किया गया था। यह एलिम्को द्वारा भारत सरकार की ए.डी.आई.पी. योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के डी.ई.पी.डब्ल्यू.डी. के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा पहला शिविर है।



- विकलांग व्यक्तियों हेतु सहायता योजना के संदर्भ में जानकारी इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उनकी पहुंच के भीतर उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता और उपकरण प्रदान करके मदद करना है।

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता और उपकरणों की खरीद में जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है।
- ये उपकरण विकलांगता के प्रभाव को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकते हैं।

योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी की पात्रता

निम्नलिखित एजेंसियां, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से इस योजना को लागू करने के लिए पात्र होंगी, जो निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करती हैं:

- i. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और उनकी शाखाओं के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी यदि कोई अलग से हो।
- ii. पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट
- iii. जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी/ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अन्य स्वायत्त निकाय
- iv. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय/ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एलिम्को सहित राष्ट्रीय/ शीर्ष संस्थान
- v. राज्य विकलांग विकास निगम
- vi. स्थानीय निकाय- जिला परिषद, नगर पालिका, जिला स्वायत्त विकास परिषद और पंचायतें हैं
- vii. नेहरू युवक केंद्र

गरीब कल्याण रोजगार अभियान

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत सरकार ने एक विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' शुरू करने का निर्णय लिया है।



गरीब कल्याण रोजगार अभियान के संदर्भ में जानकारी

- इसे बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक, तेलीहर गांव से लॉन्च किया जाएगा।

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना और सशक्त बनाना है।

लक्ष्य

- यह 125 दिनों का अभियान है, जो मिशन मोड में काम करेगा, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने में 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों का गहन और केंद्रित कार्यान्वयन किया जाएगा।

समन्वय एजेंसी

- यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के बीच एक समन्वित प्रयास है, जिनके नाम ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़कें, दूरसंचार और कृषि हैं।
- इस अभियान के लिए 6 राज्यों में कुल 116 जिले चुने गए हैं, जिनके नाम बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा हैं।
- इसमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल होंगे।

जन औषधि सुविधा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनेटरी नैपकिन

खबरों में क्यों है?

- विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 4 जून, 2018 को भारत सरकार ने भारत की महिलाओं के लिए "जन औषधि ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनेटरी नैपकिन" लॉन्च करने की घोषणा की है।

जन औषधि सुविधा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनेटरी नैपकिन के संदर्भ में जानकारी

यह सैनेटरी नैपकिन पूरे देश में 6300 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना- पी.एम.बी.जे.पी. केंद्रों पर उपलब्ध है, जो 1 रूपए प्रति पैड की न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध हैं।

सैनेटरी नैपकिन के फायदे

- ये सैनेटरी नैपकिन पर्यावरण के अनुकूल हैं क्योंकि ये पैड एसटीएमडी-6954 (बायोडिग्रेडेबिलिटी टेस्ट) मानकों के अनुपालन वाली ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सामग्री के साथ बनाए गए हैं।
- इस कदम ने भारत की वंचित महिलाओं के लिए 'स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा सुनिश्चित' की है।



प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के संदर्भ में जानकारी

- यह फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा जनता को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है।
- पी.एम.बी.जे.पी. स्टोर, जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए हैं, जो कम कीमत पर उपलब्ध हैं लेकिन गुणवत्ता और प्रभावकारिता के मामले में महंगे ब्रांडेड दवाओं के बराबर हैं।
- फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने नवंबर, 2008 में जन औषधि अभियान के नाम से इसे लॉन्च किया था।
- ब्यूरो ऑफ फार्मा पी.एस.यू. ऑफ इंडिया (बी.पी.पी.आई.), पी.एम.बी.जे.पी. के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

सत्यभामा पोर्टल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय मामलों के मंत्री ने खान मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए सत्यभामा (खनन उन्नयन में आत्मनिर्भर भारत हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना) पोर्टल लॉन्च किया गया है।



सत्यभामा पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

- इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.), खान सूचना विज्ञान प्रभाग द्वारा डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया गया है।
- सत्यभामा पोर्टल परियोजनाओं की निगरानी और निधि/ अनुदान के उपयोग के साथ परियोजना प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता है।
- अनुसंधानकर्ता पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रगति रिपोर्ट और परियोजनाओं की अंतिम तकनीकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
- यह पोर्टल नीति आयोग के एन.जी.ओ. दर्पण पोर्टल के साथ एकीकृत है।



एन.जी.ओ. दर्पण के संदर्भ में जानकारी

- यह एक प्लेटफार्म है, जो वी.ओ./ एन.जी.ओ. और प्रमुख सरकारी मंत्रालयों/ विभागों/ सरकारी निकायों के बीच इंटरफेस के लिए जगह प्रदान करता है, जिसे वर्तमान में नीति आयोग द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

राज्यसभा चुनाव

खबरों में क्यों हैं?

- हाल ही में, राज्यसभा चुनाव का एक और चरण पूरा हो गया है।



राज्यसभा चुनाव के लिए विशिष्ट

- राज्य सभा चुनावों में, केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं।
- विधानसभा छह वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रत्येक दो वर्ष में उच्च सदन में नए सदस्यों का एक समूह भेजती है। राज्यसभा में संसद के एक तिहाई सदस्य (जो कि एक स्थायी सदन है और विघटन के अधीन नहीं है), प्रत्येक राज्य से दो वर्ष में एक बार सेवानिवृत्त होते हैं और रिक्त पदों को भरने के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त इस्तीफे, मृत्यु या अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को उप-चुनावों के माध्यम से भरा जाता है, जिसके बाद चुने गए लोग अपने पूर्ववर्तियों के शेष कार्यकाल तक सेवा करते हैं।

मतदान कैसे होता है?

- मतदान, एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा होता है क्योंकि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आयोजित होता है।
- राज्यसभा चुनावों में खुले मतपत्र और गुप्त मतपत्र की व्यवस्था होती है।

राज्यसभा चुनावों पर उपर्युक्त में से कोई नहीं या नोटा लागू क्यों नहीं होता है?

- भारत निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई.) ने 24 जनवरी, 2014 और 12 नवंबर, 2015 को दो परिपत्र जारी किए थे, जिससे राज्यसभा सदस्यों को उच्च सदन चुनावों में नोटा बटन दबाने का विकल्प मिला था।
- हालांकि, वर्ष 2018 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, विकल्प 'केवल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' पर

आधारित आम चुनावों के लिए है और इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित अप्रत्यक्ष चुनावों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

क्या क्रॉस वोटिंग (प्रति मतदान) अयोग्यता को आकर्षित करती है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने खुले मतपत्र प्रणाली में हस्तक्षेप करने को अस्वीकृत करते हुए फैसला सुनाया है कि पार्टी उम्मीदवार को वोट नहीं देना, दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्यता को आकर्षित नहीं करेगा।
- मतदाता के रूप में, विधायक अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देने की अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं।
- हालांकि, न्यायालय ने कहा है कि चूंकि पार्टी को पता होगा कि किसने अपने उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया है, इसलिए यह संबंधित विधायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

क्या कोई विधायक, विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लिए बिना मत दे सकता है?

- विधायक के रूप में कार्य करने के लिए सदस्य के रूप में शपथ लेने के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि विधायक के रूप में शपथ लेने से पहले भी एक सदस्य राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकता है।
- इसने फैसला सुनाया है कि राज्यसभा चुनाव में मतदान करना, एक गैर-विधायी गतिविधि होने के कारण शपथ लिए बिना मत दिया जा सकता है।
- ई.सी.आई. द्वारा निर्वाचित सदस्यों की सूची के अधिसूचित होते ही एक व्यक्ति सदस्य बन जाता है।
- इसके अतिरिक्त, सदस्य, शपथ लेने से पहले एक उम्मीदवार का प्रस्ताव भी कर सकते हैं।

विधि-नियम सूचकांक

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कहा है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करें जिससे कि विधि-नियम सूचकांक में भारत की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु विशेषज्ञ पैनल की स्थापना की जा सके।

मुद्दा क्या है?

- प्रत्येक वर्ष की भांति 11 मार्च को, विश्व न्याय परियोजना ने विधि-नियम सूचकांक 2020 की घोषणा की है, जिसमें भारत 69वें स्थान पर है।
- याचिका ने सरकार से विधि-नियम सूचकांक में शीर्ष 20 स्थानों पर रहने वाले देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने हेतु निर्देश देने और तदनुसार भारत की "दयनीय स्थिति" को सुधारने के लिए कदम उठाने की मांग की है।
- भारत को कभी भी सूचकांक में शीर्ष 50 में भी स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन क्रमागत सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया है।

विधि-नियम सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- यह एक मात्रात्मक मूल्यांकन उपकरण है, जो इसका विस्तृत और व्यापक चित्र प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कौन से देश अभ्यास में विधि-नियम का पालन करते हैं।
- यह विश्व न्याय परियोजना द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो एक स्वतंत्र संगठन है।
- सूचकांक में 128 देशों को शामिल किया गया है।
- विधि-नियम सूचकांक 2020 में, डेनमार्क शीर्ष पर है, इसके बाद नॉर्वे और फिनलैंड हैं।



- भारत को 128 देशों में से 69वां स्थान दिया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

आदर्श ग्राम योजना/ सांसद आदर्श ग्राम योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा साधिकार किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना ने "कोई महत्वपूर्ण प्रभाव" नहीं डाला है और वर्तमान गति के आधार पर यह वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल हो जाएगी।
- यह अध्ययन ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति के "स्वतंत्र मूल्यांकन" के लिए पांचवें सामान्य समीक्षा मिशन (सी.आर.एम.) का हिस्सा था।



सांसद आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह अक्टूबर, 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ग्राम विकास परियोजना है।
- इस योजना के अंतर्गत, सांसद के सदस्य (सांसद), वर्ष 2019 तक तीन गांवों और वर्ष 2024 तक कुल आठ गांवों में से प्रत्येक के सामाजिक-आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

उद्देश्य

- A. मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से आदर्श ग्रामों के विकास को आदर्श गांव कहा जाता है और स्थानीय संदर्भ के लिए कुछ नई पहलों को डिज़ाइन किया जाएगा, जो गाँव से गाँव तक भिन्न हो सकती हैं।
- B. स्थानीय विकास का मॉडल बनाना, जो अन्य गांवों में दोहराया जा सकता है।

गाँवों की पहचान

- सांसद आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए अपने गांव या अपने पति या पत्नी के गांव के अतिरिक्त किसी भी ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं।
- यदि यह मैदानी इलाकों में है तो गाँव की आबादी 3000-5000 होनी चाहिए या यदि यह पहाड़ी इलाकों में है तो गाँव की आबादी 1000-3000 होनी चाहिए।

गाँव का चयन

- लोकसभा सांसद, अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक गाँव चुन सकते हैं।
- राज्यसभा सांसद, उस राज्य से एक गाँव चुन सकते हैं जहां से वे चुने गए हैं।
- नामांकित सदस्य, देश के किसी भी जिले से एक गाँव चुन सकते हैं।

- जो सांसद, शहरी निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे पड़ोसी ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव की पहचान कर सकते हैं।

अनुदान:

योजना के लिए कोई नई निधि आवंटित नहीं की गई है, लेकिन निधि निम्न के माध्यम से जुटाई जानी चाहिए:

- A. मौजूदा योजनाओं जैसे इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि आदि से धन जुटाया जाएगा
- B. संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)
- C. ग्राम पंचायत का राजस्व
- D. केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग अनुदान और
- E. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि

पहचाने गए गांवों से आदर्श ग्राम बनाने की रणनीति:

- सामान्य सकारात्मक कार्रवाई की दिशा में समुदाय को सक्रिय और संगठित करना
- एकीकृत तरीके से लोगों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने हेतु भागीदारी योजना अभ्यास
- केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और अन्य राज्य योजनाओं से सीमा को अधिकतम करने हेतु संसाधनों को एकीकृत करना
- मौजूदा बुनियादी ढांचे की मरम्मत और नवीकरण संभव हद तक करना
- उनके भीतर ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक संस्थाओं को मजबूत करना
- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना

नोट:

- हाल ही में, कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष की स्थिति में भारत सरकार ने दो वर्ष (2020 और 2021) के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या एम.पी.एल.ए.डी.एस. निधि को निलंबित कर दिया है और इन निधियों को भारत के समेकित कोष में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

आदर्श ग्राम योजना/ सांसद आदर्श ग्राम योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा साधिकार किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना ने "कोई महत्वपूर्ण प्रभाव" नहीं डाला है और वर्तमान गति के आधार पर यह वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल हो जाएगी।
- यह अध्ययन ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति के "स्वतंत्र मूल्यांकन" के लिए पांचवें सामान्य समीक्षा मिशन (सी.आर.एम.) का हिस्सा था।



सांसद आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह अक्टूबर, 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ग्राम विकास परियोजना है।
- इस योजना के अंतर्गत, सांसद के सदस्य (सांसद), वर्ष 2019 तक तीन गांवों और वर्ष 2024 तक कुल आठ गांवों में से प्रत्येक के सामाजिक-आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

उद्देश्य

- C. मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से आदर्श ग्रामों के विकास को आदर्श गांव कहा जाता है और स्थानीय संदर्भ के लिए कुछ नई पहलों को डिज़ाइन किया जाएगा, जो गाँव से गाँव तक भिन्न हो सकती हैं।
- D. स्थानीय विकास का मॉडल बनाना, जो अन्य गांवों में दोहराया जा सकता है।

गाँवों की पहचान

- सांसद आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए अपने गांव या अपने पति या पत्नी के गांव के अतिरिक्त किसी भी ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं।
- यदि यह मैदानी इलाकों में है तो गाँव की आबादी 3000-5000 होनी चाहिए या यदि यह पहाड़ी इलाकों में है तो गांव की आबादी 1000-3000 होनी चाहिए।

गाँव का चयन

- लोकसभा सांसद, अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक गाँव चुन सकते हैं।
- राज्यसभा सांसद, उस राज्य से एक गाँव चुन सकते हैं जहां से वे चुने गए हैं।
- नामांकित सदस्य, देश के किसी भी जिले से एक गाँव चुन सकते हैं।
- जो सांसद, शहरी निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे पड़ोसी ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के एक गाँव की पहचान कर सकते हैं।

अनुदान:

योजना के लिए कोई नई निधि आवंटित नहीं की गई है, लेकिन निधि निम्न के माध्यम से जुटाई जानी चाहिए:

- F. मौजूदा योजनाओं जैसे इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि आदि से धन जुटाया जाएगा
- G. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)
- H. ग्राम पंचायत का राजस्व
- I. केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग अनुदान और
- J. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि

पहचाने गए गाँवों से आदर्श ग्राम बनाने की रणनीति:

- सामान्य सकारात्मक कार्रवाई की दिशा में समुदाय को सक्रिय और संगठित करना

- एकीकृत तरीके से लोगों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने हेतु भागीदारी योजना अभ्यास
- केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और अन्य राज्य योजनाओं से सीमा को अधिकतम करने हेतु संसाधनों को एकीकृत करना
- मौजूदा बुनियादी ढांचे की मरम्मत और नवीकरण संभव हद तक करना
- उनके भीतर ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक संस्थाओं को मजबूत करना
- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना

नोट:

- हाल ही में, कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष की स्थिति में भारत सरकार ने दो वर्ष (2020 और 2021) के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या एम.पी.एल.ए.डी.एस. निधि को निलंबित कर दिया है और इन निधियों को भारत के समेकित कोष में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लांच किया गया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने युक्ति 2.0 वेब पोर्टल नामक एक पहल शुरू की है।

पृष्ठभूमि

- इससे पहले, एच.आर.डी. मंत्रालय ने कोरोनावायरस के कारण 11 अप्रैल 2020 को YUKTI (यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन) वेब पोर्टल लॉन्च किया था।



युक्ति पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

- यह पोर्टल बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करने का इरादा रखता है।
- इस पोर्टल के माध्यम से, मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपनी प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को उन्नत करने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उचित समर्थन मिल रहा है।

युक्ति 2.0 के संदर्भ में जानकारी

- यह 'युक्ति' के प्रारंभिक संस्करण का तार्किक विस्तार है।
- आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में युक्ति 2.0 पहल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। युवा नवीन रूप से सोचने में बहुत सक्षम हैं और उनके विचारों को उद्यमों में बदलने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है।

- यह हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में नए स्टार्टअप से संबंधित व्यावसायिक रूप से सक्षम और जानकारी रखने वाली प्रौद्योगिकियों को प्रणालीगत रूप से आत्मसात करने में भी मदद करेगा।

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, यूनेस्को द्वारा वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी।



रिपोर्ट की मुख्य झलकियाँ

- कोरोनावायरस वैश्विक महामारी ने दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियों में असमानताओं को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 40% निम्न और निम्न-मध्यम-आय वाले देशों ने इस संकट के दौरान गरीब, भाषाई अल्पसंख्यक और विकलांग शिक्षार्थियों जैसे शिक्षार्थियों का बहिष्कार के जोखिम पर समर्थन नहीं किया है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महामारी के दौरान शिक्षण की निरंतरता बनाए रखने के प्रयासों से बहिष्करण की प्रवृत्ति खराब हो सकती है।
- अप्रैल, 2020 में स्कूलों के बंद होने के चरम समय पर पूरे देश में लगभग 91% छात्र स्कूलों से बाहर कर दिए गए थे।

त्रुटिपूर्ण विकल्प

- रिपोर्ट के अनुसार, महामारी के दौरान दूरस्थ शिक्षा समाधानों के साथ शिक्षा प्रणालियों को प्रतिक्रिया प्रदान की गई है, जिनमें से सभी ने कक्षा निर्देश के लिए कम या अधिक त्रुटिपूर्ण विकल्पों की पेशकश की है।
- जब कि कई गरीब देशों ने रेडियो और टेलीविजन पाठों का चुनाव किया है, 55% निम्न आय, निम्न-मध्यम-आय का 73% और उच्च-मध्यम-आय वाले 93% देशों ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों को अपनाया है।
- भारत ने शैक्षणिक निरंतरता के लिए सभी तीन प्रणालियों के मिश्रण का उपयोग किया है।
- हालांकि, यहां तक कि सरकारें तेजी से प्रौद्योगिकी पर भरोसा कर रही हैं, डिजिटल विभाजन इस दृष्टिकोण की सीमाओं को अरक्षित कर देता है।
- सभी छात्रों और शिक्षकों को उपलब्ध प्लेटफार्मों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त इंटरनेट कनेक्शन, उपकरण, कौशल और काम करने की स्थिति तक पहुंच नहीं प्राप्त है।

बाहर के संसाधनों की अनुपलब्धता

- लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने से समर्थन तंत्र भी बाधित हुआ है, जिससे कई वंचित शिक्षार्थियों को लाभ हुआ है।

- अंधे और बहरे छात्रों के लिए स्कूलों के बाहर संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, शिक्षण अक्षमता वाले बच्चे या जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं, उन्हें कंप्यूटर के सामने स्वतंत्र रूप से काम करने में संघर्ष करना पड़ सकता है या उनकी दैनिक स्कूल की दिनचर्या बाधित हो सकती है।
- गरीब छात्रों के लिए, जो मुफ्त भोजन या मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के लिए स्कूलों पर निर्भर हैं, इस बंदी से उन्हें एक महत्वपूर्ण झटका लगा है।

अन्य समस्याएं

- भारत सहित कई देशों में परीक्षाओं को रद्द करने से शिक्षकों के निर्णयों पर निर्भरता के साथ अंक प्रदान किए जा सकते हैं, जो कुछ निश्चित प्रकार के छात्रों के प्रति रुढ़िबद्ध धारणाओं से प्रभावित हो सकते हैं।

उच्च ड्रॉप-आउट दरें भी चिंता का कारण हैं।

- उदाहरण के लिए, अफ्रीका में प्रारंभिक इबोला महामारी के दौरान, कई बड़ी लड़कियां संकट खत्म होने के बाद कभी स्कूल नहीं लौटीं थीं।

क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने हेतु ऐतिहासिक निर्णय

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जो कई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक अति आवश्यक दीर्घकालिक मार्ग प्रदान करेंगे, जो महामारी के समय में महत्वपूर्ण हैं।



इन ऐतिहासिक निर्णयों में शामिल हैं:

A. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना

- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुसरण में 15000 करोड़ रूपए की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (ए.एच.आई.डी.एफ.) की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है।

लाभ

- इसमें पशुपालन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से अनलॉक का इंतजार करने वाली अपार क्षमता है।
- निजी निवेशकों के लिए ब्याज आर्थिक सहायता योजना के साथ ए.एच.आई.डी.एफ., इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक अग्रिम निवेश को पूरा करने के लिए पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और निवेशकों के लिए समग्र रिटर्न/ पेबैक को बढ़ाने में भी मदद करेगा।

- पात्र लाभार्थियों द्वारा प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसरचना में ऐसे निवेश से भी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

B. अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे की घोषणा

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था।
- यह एक बहुत ही पवित्र बौद्ध तीर्थस्थल केंद्र के रूप में माना जाता है, जहाँ दुनिया भर से बौद्ध तीर्थयात्री, तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं।
- कुशीनगर पहले से ही भारत और नेपाल में फैले हुए बौद्ध सर्किट तीर्थयात्रा के लिए प्रस्तुत स्थल के रूप में कार्य करता है।

लाभ:

- बौद्ध सर्किट, दुनिया भर में बौद्धों का अभ्यास करने वाले 530 मिलियन बौद्धों के लिए एक आवश्यक तीर्थस्थल गंतव्य है।
- अतः कुशीनगर हवाई अड्डे को 'अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे' के रूप में घोषित करने से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जो हवाई-यात्रियों के लिए प्रतिस्पर्धी लागत पर सेवाओं का एक अधिक व्यापक विकल्प होगा, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू/ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

C. म्यांमार में श्वे तेल और गैस परियोजना के विकास के लिए ओ.वी.एल. द्वारा अतिरिक्त निवेश को मंजूरी प्रदान की गई है।

- ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.) दक्षिण कोरिया, भारत और म्यांमार की कंपनियों के एक संघ के हिस्से के रूप में वर्ष 2002 से म्यांमार में श्वे गैस परियोजना के अन्वेषण और विकास के साथ संबद्ध है।

लाभ:

- पड़ोसी देशों में तेल और गैस के अन्वेषण और विकास परियोजनाओं में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की भागीदारी को भारत की अधिनियम पूर्व नीति के साथ संरेखित किया गया है।
- यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को और मजबूत करने के अतिरिक्त अपने पड़ोसियों के साथ ऊर्जा पुलों को विकसित करने की भारत की रणनीति का एक हिस्सा भी है।

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है।



लाभ

- यह निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए समतल खेल का मैदान प्रदान करने में मदद करेगा। ये सुधार इसरो को अनुसंधान और विकास गतिविधियों (आर एंड डी), नई प्रौद्योगिकियों, अन्वेषण मिशनों और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति प्रदान करेंगे।
- कुछ ग्रहों की खोज मिशन को 'अवसर की घोषणा' तंत्र के माध्यम से निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा।

अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी उद्योगों की भागीदारी की वर्तमान स्थिति

- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एन.एस.आई.एल.) को अंतरिक्ष प्रणालियों का औद्योगिक उत्पादन करने और उद्योग से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों (पी.एस.एल.वी.) को साकार करने में इसरो के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए शामिल किया गया था।
- वर्तमान में, 500 से अधिक भारतीय उद्योग इसरो के कार्यक्रमों में योगदान दे रहे हैं और परियोजना के बजट के आधे से अधिक भाग इन उद्योगों में प्रवाहित होते हैं।

ओ.बी.सी. के उप-वर्गीकरण पर जी. रोहिणी आयोग

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को छह महीने तक अर्थात् 31.1.2021 तक मंजूरी प्रदान की है।



पृष्ठभूमि

- इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत वर्ष 2017 में राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्रीमती जी. रोहिणी की अध्यक्षता में किया गया था।

लाभ:

- ओ.बी.सी. की मौजूदा सूची में जिन समुदायों को केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए ओ.बी.सी. आरक्षण की योजना का कोई बड़ा लाभ नहीं मिल पाया है और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर लाभान्वित करने की उम्मीद है।
- आयोग के ओ.बी.सी. की केंद्रीय सूची में ऐसे हाशिए के समुदायों के लाभ के लिए सिफारिशें करने की संभावना है।

व्यय:

- इसमें शामिल व्यय, आयोग की स्थापना और प्रशासन की लागत से संबंधित हैं, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

तनावग्रस्त परिसंपत्ति ऋण- एम.एस.एम.ई. हेतु अधीनस्थ ऋण

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (एम.एस.एम.ई.) ने अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सी.जी.एस.एस.डी.) शुरू की है जिसे "तनावग्रस्त परिसंपत्ति ऋण- एम.एस.एम.ई. हेतु अधीनस्थ ऋण" भी कहा जाता है।



तनावग्रस्त परिसंपत्ति ऋण- एम.एस.एम.ई. हेतु अधीनस्थ ऋण के संदर्भ में जानकारी

लक्ष्य

- योजना का उद्देश्य उन परिचालित एम.एस.एम.ई. के प्रमोटरों को समर्थन प्रदान करना है, जो तनावग्रस्त हैं और 30 अप्रैल, 2020 तक एन.पी.ए. हो गए हैं।
- यह प्रमोटरों को 20,000 करोड़ रूपए का गारंटी कवर प्रदान करता है, जो अपने तनावग्रस्त एम.एस.एम.ई. में भविष्य में निवेश करने के लिए पूंजी के रूप में बैंकों से ऋण ले सकते हैं।

कार्यान्वयन एजेंसी

- इस योजना का संचालन एम.एस.ई. हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के माध्यम से किया जाएगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं



- एम.एस.एम.ई. के प्रमोटर को उनकी हिस्सेदारी (पूंजी के साथ ऋण) का 15 प्रतिशत या 75 लाख रूपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, इनमें से जो भी कम हो।
- प्रमोटर इसके बदले में एम.एस.एम.ई. इकाई में इस राशि का पूंजी के रूप में निवेश करेगा और इस प्रकार तरलता बढ़ेगी और ऋण-पूंजी अनुपात बनाए रखेगा।
- इस उप-ऋण के लिए 90% गारंटी कवरेज योजना के अंतर्गत दिया जाएगा और 10% संबंधित प्रमोटरों से आएगा।


अवधि

- मूलधन के भुगतान पर 7 वर्ष का अधिस्थगन होगा, जब कि पुनर्भुगतान के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी।

स्किल बिल्ड (कौशल निर्माण) रिइगनाइट

खबरों में क्यों है?

- आई.बी.एम. के साथ साझेदारी में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) ने अधिक नौकरी चाहने वालों तक पहुँचने और भारत में व्यापार मालिकों को नए संसाधन प्रदान करने के लिए फ्री डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म 'स्किल बिल्ड रिइगनाइट' का अनावरण किया है।



स्किल्स बिल्ड रिइगनाइट के संदर्भ में जानकारी

- स्किल बिल्ड रिइगनाइट नौकरी चाहने वालों और उद्यमियों को प्रदान करता है, जिसमें मुफ्त ऑनलाइन शोध तक पहुंच शामिल है और उनके करियर और व्यवसायों को एक नए अंदाज में पेश करने में उनकी मदद करने हेतु निगरानी समर्थन डिजाइन किया गया है। इसकी विशिष्ट विशेषता उन उद्यमियों के लिए व्यक्तिगत कोचिंग है, जो अपने छोटे व्यवसायों को स्थापित करने या पुनः शुरू करने में मदद करने की सलाह मांगते हैं क्योंकि वे कोविड-19 महामारी से बाहर निकलकी बहाली पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।

आई.बी.एम. स्किल्स बिल्ड रिइगनाइट की भूमिका

- क्लाउड कम्प्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में बहुमुखी डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में आई.बी.एम. की विशेषज्ञता नौकरी चाहने वालों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों का समर्थन करके स्थानीय कार्यबल, समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं की बहाली में प्रयासों को मजबूत करेगी।

- आई.बी.एम., राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एन.एस.टी.आई.) और आई.टी.आई. में छात्रों और प्रशिक्षकों को क्लाउड कम्प्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में बहुमुखी डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

पृष्ठभूमि

- नवंबर 2019 में, आई.बी.एम. इंडिया ने प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जी.टी.), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और इसके कार्यान्वयन भागीदारों के साथ साझेदारी में डी.जी.टी. के भारतस्किल्स के माध्यम से भारतीय छात्रों के लिए स्किल बिल्ड ऑनलाइन अधिगम प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है।
- भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) और प्रौद्योगिकी शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र से छात्रों और प्रशिक्षकों के लिए इस प्लेटफार्म पर डिजिटल कक्षाएं उपलब्ध हैं।

नीति आयोग ने व्यवहार परिवर्तन अभियान 'नेवीगेटिंग द न्यू नॉर्मल' लांच किया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, नीति आयोग ने व्यवहार परिवर्तन अभियान 'नेवीगेटिंग द न्यू नॉर्मल' और इसकी वेबसाइट लॉन्च की है, जिससे कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मानदंडों का पालन करने में लोगों की मदद करने में मदद मिलेगी।




अभियान के संदर्भ में जानकारी

- यह अभियान चल रही वैश्विक महामारी के 'अनलॉक' चरण के दौरान, विशेष रूप से कोविड- सुरक्षित व्यवहार, विशेष रूप से मास्क पहनने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह भारत सरकार द्वारा गठित सशक्त समूह 6 के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है और इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सी.ई.ओ. ने की है।
- इस अभियान के दो भाग हैं।
- पहला व्यवहार विज्ञान द्वारा सूचित वेब पोर्टल समाहित संसाधन और नज (कोहनी से धक्का देना) और सामाजिक मानदंडों के सिद्धांतों का उपयोग करना है, जो चल रहे अनलॉक चरण के दौरान कोविड-सुरक्षित व्यवहार मानदंडों से संबंधित है।
- दूसरा एक मीडिया अभियान है, जो मास्क पहनने पर केंद्रित है।

शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग के संवर्धन हेतु योजना (स्पार्क)

खबरों में क्यों है?

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आई.आई.टी.एम.) के शोधकर्ता स्पार्क योजना के अंतर्गत हरित ऊर्जा समाधान के लिए नई सामग्री विकसित करने हेतु जर्मनी में अपने समकक्षों के साथ सहयोग कर रहे हैं।



- इस परियोजना का उद्देश्य हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रत्याशा में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए वैकल्पिक तकनीकों का विकास करना है।
- हाइड्रोजन उत्पन्न करने के पारंपरिक तरीकों से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब कि पानी का विद्युत रासायनिक विभाजन होता, जिसे 'जलीय विद्युत अपघटन' (डब्ल्यूई.) कहा जाता है, यह उच्च शुद्धता वाली H₂ का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए एक स्वच्छ, सुस्पष्ट और अत्यधिक कुशल तकनीक है।

स्पार्क के संदर्भ में जानकारी

- यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है।
- इसका उद्देश्य भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाते हुए भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है।
- इस पहल में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता की समस्याओं को हल करने के लिए 28 चयनित राष्ट्र हैं।

विश्व बैंक ने छह राज्यों के लिए \$500 मिलियन की शिक्षा परियोजना को मंजूरी प्रदान की है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, विश्व बैंक ने परियोजना स्टार्स के माध्यम से छह भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों के अधिगम परिणाम और शासन में सुधार के लिए \$500 मिलियन की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है।



स्टार्स प्रोजेक्ट के संदर्भ में जानकारी

- परियोजना, राज्यों के कार्यक्रम हेतु शिक्षण-अधिगम और परिणामों को सशक्त करना (STARS) को समय शिक्षा अभियान (एक प्रमुख केंद्रीय योजना) के माध्यम से लागू किया जाएगा।

व्यापकता

- परियोजना में शामिल किए गए छह राज्य- हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान हैं।
- छह परियोजना राज्यों में सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 52% से अधिक बच्चे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कमजोर वर्गों से संबंधित हैं।

लाभ:

- यह अधिगम मूल्यांकन प्रणालियों को बेहतर बनाने, कक्षा निर्देशन और उपचार को मजबूत बनाने, स्कूल-से-काम के परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने और शासन को मजबूत करने और प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करने में मदद करेगा।
- स्टार्स, स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन को सशक्त बनाने, शिक्षक क्षमता में निवेश करने और यह सुनिश्चित करने में कि किसी भी पृष्ठभूमि का कोई बच्चा शिक्षा के अधिकार से पीछे न रहे, भारत की प्रतिक्रिया की सहायता करेगा।

पृष्ठभूमि

- स्टार्स का निर्माण, स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और सभी को शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए वर्ष 1994 से भारत और विश्व बैंक के बीच साझेदारी पर किया गया है।
- स्टार्स से पहले, विश्व बैंक ने इस दिशा में 3 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता की थी।

संबंधित जानकारी

समय शिक्षा के संदर्भ में जानकारी

- समय शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जो स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक विस्तारित है।

यह तीन योजनाओं का एकीकृत करती है:

- सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)
 - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)
 - शिक्षक शिक्षा (टी.ई.)
- यह योजना स्कूल शिक्षा को प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक समग्र रूप से एक सातत्य के रूप में मानती है।

- इस योजना का मुख्य बल दो T- शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020

खबरों में क्यों है?

- बैंकों में जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की वचनबद्धता के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अनुमोदन किया है।

बैंकिंग विनियमन अध्यादेश 2020 के संदर्भ में जानकारी

अध्यादेश ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किया है क्योंकि यह सहकारी बैंकों पर लागू होता है।




- अध्यादेश, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना चाहता है और अन्य बैंकों के सापेक्ष सहकारी बैंकों के लिए आर.बी.आई. के पास पहले से मौजूद शक्तियों का प्रसार करके शासन में सुधार करके और पर्यवेक्षण करके सहकारी बैंकों को मजबूत करना चाहता है।
- संशोधन, राज्य सहकारी कानूनों के अंतर्गत सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार की मौजूदा शक्तियों को प्रभावित नहीं करते हैं।
- यह संशोधन, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पी.ए.सी.एस.) या सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य और प्रमुख व्यवसाय, कृषि विकास हेतु दीर्घकालिक वित्तपोषण है।
- यह अध्यादेश, जनता, जमाकर्ताओं और बैंकिंग प्रणाली के हितों की रक्षा करने के लिए बैंकिंग कंपनी के पुनर्निर्माण या समामेलन की योजना बनाने को सक्षम करने हेतु और और इसके उचित प्रबंधन को सुरक्षित रखने के लिए अधिस्थगन का आदेश जारी किए बिना बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45 में भी संशोधन करता है, जिससे कि वित्तीय प्रणाली के व्यवधान से बचा जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार पर फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2018 के फैसले की समीक्षा करने से इंकार कर दिया है, जिसमें व्यभिचार को वैध बताया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए. बोबडे की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की समीक्षा पीठ ने सितंबर, 2018 की संविधान पीठ को सही ठहराया है, जिसने व्यभिचार को दंडात्मक कानून की किताब से बाहर कर दिया था।



पृष्ठभूमि

- वास्तविक निर्णय, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में एक संविधान पीठ द्वारा किया गया था, जिसमें पाया गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 (व्यभिचार), विवाहित जोड़ों को दंडात्मक सजा के डर से एक-दूसरे के प्रति वफादार रहने के लिए "आदेशित" नहीं कर सकती है।
- वर्ष 2018 में वास्तविक निर्णय केरल निवासी जोसेफ शाइन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आधारित था।

आई.पी.सी. की धारा 497 के संदर्भ में जानकारी

- भारत में व्यभिचार कानून को भारतीय दंड संहिता की धारा 497 द्वारा परिभाषित किया गया है।
- धारा 497 में व्यभिचार को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि 'जिसने किसी व्यक्ति के साथ संभोग किया है, वो वह है और जिसे वह जानता है या किसी अन्य पुरुष की पत्नी होने का विश्वास करने का कारण है, उस आदमी की सहमति के साथ या सहमति के बिना, ऐसा संभोग बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, व्यभिचार के अपराध का अपराधी दोषी है और वह दंडित किया जाएगा'।
- ऐसे मामलों में, पत्नी एक दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी।
- यह एक विवाहित महिला को अपने पति की वस्तु के रूप में मानती है।
- व्यभिचार, अपराध नहीं है यदि व्यभिचारी पति, अपनी पत्नी के विवाहेतर संबंध के लिए राजी या सहमति देता है।
- यह प्रावधान 150 वर्ष पहले प्रचलित पुरुषों के सामाजिक प्रभुत्व का प्रतिबिंब है।

जी.ई.एम. पर जनजातीय भारतीय उत्पाद

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जी.ई.एम.) पर जनजातीय भारतीय उत्पादों को लॉन्च किया है।



जनजातीय उत्पादों के संदर्भ में जानकारी

- सरकारी विभाग, मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जी.ई.एम.) के माध्यम से और जी.एफ.आर. के नियमों के अनुसार दुकानों से जनजातीय भारतीय उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं।
- उत्पादों में धोकरा धातु शिल्प, खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, सभी प्रकार की चित्रकारी (गोंड, भील, वारली, पिथोरा जैसी अन्य) से लेकर अलंकृत फैब्रिकेटेड परिधान और विशिष्ट ज्वेलरी डिजाइन जैसे उत्पाद शामिल हैं। वन धन प्राकृतिक श्रृंखला में शहद, मसाले, चावल, चाय, कॉफी जैसे अन्य कार्बनिक आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं।
- जनजातियों का समर्थन करने के लिए पी.एस.यू. और मंत्रालय, जी.ई.एम. पर विभिन्न जनजातीय उत्पादों को प्रथम वरीयता दे सकते हैं और 70% राशि प्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों के हाथों में जाएगी।

'कोवाक्सिन' के मानव परीक्षणों के लिए डी.सी.जी.आई. की अनुमति मिल गई है।

खबरों में क्यों है?

- ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डी.सी.जी.आई.) ने कोविड-19 के लिए देश के पहले वैक्सीन उम्मीदवार 'कोवाक्सिन' के मानव नैदानिक परीक्षणों की अनुमति प्रदान की है।



ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का एक विभाग है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- यह भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, IV तरल पदार्थ, टीके और सेरा जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन हेतु जिम्मेदार है। यह भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक भी निर्धारित करता है।

राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, तमिलनाडु में पिछले सप्ताह हिरासत में एक पिता और पुत्र की कथित यातना और हत्या एक विकृत आपराधिक न्याय प्रणाली की ओर इशारा करती है और पुलिस सुधारों और अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.ए.टी.) के अनुसमर्थन, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (सी.एच.आर.आई.) की कार्यकारी समिति (भारत) की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।



राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के संदर्भ में जानकारी

- यह एक स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह संगठन पूरे राष्ट्रमंडल में मानवाधिकारों की व्यावहारिक प्राप्ति हेतु काम करता है।
- 1987 में, कई राष्ट्रमंडल संघों ने दक्षिण अफ्रीका की नस्लवाद की नीति के लिए प्रतिक्रिया के रूप में सी.एच.आर.आई. की स्थापना की थी।
- इसका उद्देश्य हरारे राष्ट्रमंडल घोषणापत्र, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों के साधनों के साथ-साथ सदस्य राज्यों में मानवाधिकारों का समर्थन करने वाले घरेलू साधनों के प्रति जागरूकता पैदा करना और इनके अनुपालन को बढ़ावा देना है।

हरारे राष्ट्रमंडल घोषणापत्र

- हरारे राष्ट्रमंडल घोषणापत्र, राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का घोषणापत्र है, जिसे वर्ष 1991 में हरारे, जिम्बाब्वे में जारी किया गया था।
- यह राष्ट्रमंडल के प्रमुख सिद्धांतों और मूल्यों को निर्धारित करता है, राष्ट्रमंडल के सदस्यता मानदंडों का विस्तार करता है और इसके उद्देश्य को पुनर्परिभाषित करता है और पुनः सुदृढ़ बनाता है।

अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी

- यह संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व में यातना और क्रूरता, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के अन्य कृत्यों को रोकना है।
- इसे जून, 1987 में लागू किया गया था।
- राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में यातना को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की अनिवार्यता है। यह राज्यों को ऐसे किसी भी देश में लोगों को जाने के लिए मना करता है जहां विश्वास है कि उन्हें यातना दी जाएगी।
- भारत, इस सम्मेलन (1997 से) के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है और जस कॉजेंस के सिद्धांत से बंधा हुआ है जो उन लोगों के लिए मानवाधिकार सुनिश्चित करता है, जिनके साथ अत्याचार और उत्पीड़न हुआ है।
- अतीत में, भारत ने यू.एन.सी.ए.टी. की पुष्टि करने के लिए कई बार प्रतिज्ञा की है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका है।
- अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान द्वारा हालिया रिपोर्टों के अनुसार, देश में हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है।

सड़क विक्रेताओं की ऋण योजना हेतु पोर्टल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सड़क विक्रेताओं के लिए ऋण योजना हेतु pmsvanidhi.mohua.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है।



पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

- यह प्रधानमंत्री सड़क विक्रेताओं की आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं को "एकीकृत इंड-टू-इंड आई.टी. इंटरफ़ेस" प्रदान करता है। यह पोर्टल ऋण आवेदनों, दस्तावेजों के संग्रह और आधार के साथ एकीकरण आदि का प्रबंधन करने में मदद करेगा।

पी.एम. स्वनिधि के संदर्भ में जानकारी

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस वर्ष जून में प्रधानमंत्री स्वनिधि या प्रधानमंत्री सड़क विक्रेताओं की आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की है।
- सड़क विक्रेताओं को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए 14 मई को वित्त मंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी, जिन्होंने राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण बहुत मुश्किलों का सामना किया है।

- यह 50 लाख से अधिक सड़क विक्रेताओं को 10,000 रूपए तक का किफायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष सूक्ष्म-ऋण सुविधा योजना है, जिनके पास 24 मार्च को या उससे पहले अपने कारोबार का संचालन था।
- यह योजना मार्च, 2022 तक वैध है।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इस योजना के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी भागीदार है।
- यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण संस्थानों की क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन करेगा।

पात्रता:

- यह योजना विभिन्न क्षेत्रों/ प्रसंगों में विक्रेताओं, हॉकरों, ठेलावालों, रेहड़ीवालों, थैलिफाड वालों पर लागू होती है, जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं।
- आसपास के पेरी-शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित सड़क विक्रेता भी इस योजना में शामिल हैं।

योजना के अंतर्गत ऋण:

- इस योजना के अंतर्गत, विक्रेता 10,000 रूपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जो एक वर्ष के भीतर मासिक किस्तों में चुकाने योग्य है।
- ऋण की समय पर/ जल्दी चुकौती करने पर, छह महीने के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- ऋण की जल्दी चुकौती पर कोई जुर्माना नहीं होगा।


टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन.पी.सी.) की 49वीं शासी परिषद की बैठक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।



राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन.पी.सी.) के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
- यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।

- इसे 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।
- एन.पी.सी., टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन (ए.पी.ओ.) का एक घटक है, यह एक अंतर सरकारी निकाय है, जिसमें भारत सरकार एक संस्थापक सदस्य है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1- राजव्यवस्था

स्रोत- ए.आई.आर.

कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया एवं व्यय समर्थन कार्यक्रम

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत सरकार और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (ए.आई.आई.बी.) ने \$ 750 मिलियन के "कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया एवं व्यय समर्थन कार्यक्रम" पर हस्ताक्षर किए हैं।

कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया एवं व्यय समर्थन कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- यह ए.आई.आई.बी. से भारत के लिए पहला बजटीय समर्थन कार्यक्रम है। यह गरीब और कमजोर परिवारों पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों पर भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने हेतु भारत की सहायता करने में मदद करता है।
- इससे पहले, ए.आई.आई.बी. ने कोविड-19 आपातकाल प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता परियोजना के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋणों को मंजूरी प्रदान की है।

लाभार्थी

- कार्यक्रम के प्राथमिक लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार, किसान, स्वास्थ्य कर्मचारी, महिलाएं, महिलाओं के स्वयं-सहायता समूह, विधवा, विकलांग लोग, वरिष्ठ नागरिक, कम वेतन पाने वाले, निर्माण श्रमिक और अन्य कमजोर समूह होंगे।

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में जानकारी

- यह एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के मिशन के साथ एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसने जनवरी, 2016 में परिचालन शुरू किया था।
- अब दुनिया भर में इसके 102 अनुमोदित सदस्य हैं।
- इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है।
- चीन, भारत और रूस ए.आई.आई.बी. के तीन सबसे बड़े शेयरधारक हैं जिनके वोटिंग शेयर क्रमशः 26.06%, 7.5% और 5.92% हैं।
- यह विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए संप्रभु और गैर-संप्रभु वित्त प्रदान करता है, जिसकी ब्याज दर लंदन इंटरबैंक की पेश की गई दर (LIBOR) के अतिरिक्त 1.15% होती और 5 वर्ष की अनुग्रह अवधि के साथ 25 वर्ष की चुकौती अवधि होती है।

ए.आई.आई.बी. द्वारा प्रायोजित विभिन्न अन्य परियोजनाएं

- a. पश्चिम बंगाल में प्रमुख सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन परियोजना
- b. राजस्थान में 250 मेगावॉट सौर परियोजना
- c. मुंबई शहरी परिवहन परियोजना
- d. असम में ऊर्जा हस्तांतरण एवं वितरण परियोजनाएं
- e. कर्नाटक में ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली आदि

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू

gradeup

आर्थिक एवं सामाजिक विकास

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी हेतु फार्माकोपिया (औषध संस्कार ग्रंथन) आयोग (पी.सी.आई.एम. एंड एच.)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी (पी.सी.आई.एम. एंड एच.) के लिए फार्माकोपिया (औषध संस्कार ग्रंथन) आयोग को पुनः स्थापित करने हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की है। वर्तमान में, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी हेतु फार्माकोपिया (औषध संस्कार ग्रंथन) आयोग (पी.सी.आई.एम. एंड एच) वर्ष 2010 में अपनी स्थापना के बाद से आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय है।



विलय के लाभ

- यह उनके प्रभावी विनियमन और गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के मानकीकरण परिणामों को बढ़ाने के लिए तीन संगठनों की बुनियादी सुविधाओं, तकनीकी श्रमशक्ति और वित्तीय संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद करता है।
- यह आयुष दवाओं के मानकों और फार्माकोपिया और फॉर्मुलरी के प्रकाशन के केंद्रित और संसज्जित विकास की सुविधा प्रदान करेगा।
- इसका उद्देश्य औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून, 1945 में आवश्यक संशोधन करने और प्रावधानों को सक्षम करने के गुण के द्वारा पी.सी.आई.एम. एंड एच. और इसकी प्रयोगशाला के विलय वाले ढांचे को कानूनी दर्जा प्रदान करना भी है।

मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए ई.जीओ.एस., परियोजना विकास प्रकोष्ठों को मंजूरी प्रदान की है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों में सचिवों के सशक्त समूह (ई.जीओ.एस.) और परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पी.डी.सी.) की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है।



सचिवों के सशक्त समूह (ई.जीओ.एस.) के संदर्भ में जानकारी

- यह वर्ष 2024-2025 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करेगा।

 **Gradeup Green Card**
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams [CHECK HERE](#)

- एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य कोविड-19 संकट को देखते हुए वैश्विक आर्थिक स्थिति से इन अवसरों का लाभ उठाना है, जिससे कि भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक बनाया जा सके।

संरचना

- सचिवों के सशक्त समूह (ई.जी.ओ.एस.) के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव हैं।
- सदस्य संयोजक के रूप में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव
- वाणिज्य विभाग, राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और नीति आयोग के सी.ई.ओ., इस समिति के सदस्य हैं।
- संबंधित विभाग के सचिवों को जहां से निवेश आ रहे हैं, वहां समिति में सहयोजित किया जाता रहेगा।

परियोजना विकास प्रकोष्ठ

- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय में निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पी.डी.सी.) को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
- यह भारत में निवेश योग्य परियोजनाओं को बढ़ाने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है।

परियोजना विकास प्रकोष्ठ के प्रभारी

- सचिव के मार्गदर्शन में, प्रत्येक प्रासंगिक केंद्रीय लाइन मंत्रालय के संयुक्त सचिव के पद से ऊपर का अधिकारी ही पी.डी.सी. का प्रभारी होगा।
- उन्हें निवेश योग्य परियोजनाओं के विषय में अवधारणा, रणनीतिक, कार्यान्वयन और प्रसार का काम सौंपा जाएगा।

भुगतान अवसंरचना विकास कोष

खबरों में क्यों है?

- पूरे देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्रयास में, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने 500 करोड़ रुपये का भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पी.आई.डी.एफ.) स्थापित किया है।
- इस कोष को एक सलाहकार परिषद के माध्यम से शासित किया जाएगा, लेकिन यह आर.बी.आई. द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाएगा।



वित्तपोषण प्रारूप

- आर.बी.आई. ने आधे कोष को शामिल करते हुए 250 करोड़ रुपये का शुरुआती योगदान दिया है।



- शेष योगदान कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देश में संचालित कार्ड नेटवर्क से आएगा।
- यह कोष टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में भौतिक और डिजिटल दोनों प्रकार के प्वाइंट ऑफ सेल (पी.ओ.एस.) के बुनियादी ढांचे को तैनात करने के लिए अभिग्रहणकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है।
- यह भारत में 2019-2021 में भुगतान एवं निपटान प्रणाली पर विजन दस्तावेज द्वारा प्रस्तावित उपायों के अनुरूप है। डिजिटल भुगतान अवसंरचना को गहन बनाने हेतु समर्पित कोष को कार्ड जारी करने वाले बैंकों और कार्ड नेटवर्क से परिचालन खर्चों को शामिल करने के लिए आवर्ती योगदान प्राप्त होगा और यदि आवश्यक होगा तो केंद्रीय बैंक भी वार्षिक कमी में योगदान देगा।


नोट:

- विजन दस्तावेजों में परिकल्पना की गई थी कि पी.ओ.एस. लेनदेन में डेबिट कार्ड का उपयोग, वर्ष 2021 तक कुल डेबिट कार्ड लेनदेन का लगभग 44 प्रतिशत होगा।
- पिछले वर्ष, आर.बी.आई. ने एक स्वीकृति विकास निधि स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया था, जिसका उपयोग छोटे कस्बों और शहरों में कार्ड स्वीकृति अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा।

सरकार ने दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन हेतु अध्यादेश की घोषणा की है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता में संशोधन के लिए एक अध्यादेश की घोषणा की है। इसके अंतर्गत, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण डिफॉल्ट के लिए नई दिवालिया कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
- 25 मार्च से पुनर्भुगतान पर डिफॉल्ट पर निश्चित अवधि के लिए दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जिस दिन कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था।



संशोधन

- यह आई.बी.सी. की धारा 7, 9 और 10 को छह महीने के लिए निलंबित करता है, जब कि इसके लिए एक सक्षम प्रावधान है जिससे इसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

- आई.बी.सी. की धारा 7 एक वित्तीय लेनदार द्वारा दिवालिया प्रक्रिया की शुरुआत से संबंधित है, जब कि धारा 9 एक परिचालन लेनदार- आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी और कर्मकार द्वारा दिवालिया याचिका से संबंधित है।
- आई.बी.सी. की धारा 10 तब चलन में आती है जब कॉर्पोरेट देनदार, दिवालियापन के लिए याचिका दाखिल करता है।
- संहिता में एक नई धारा 10A समाविष्ट की गई है जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च को या उसके बाद अगले छह महीने (एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) के लिए होने वाले डिफाल्ट के लिए कोई भी दिवालिया आवेदन दायर नहीं किया जाएगा।


दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के संदर्भ में जानकारी

- इसे भारत के आर्थिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिवालियापन सुधारों में से एक माना जाता है।
- यह समयबद्ध तरीके से देनदारों के दिवालियापन संकल्प के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, जिससे उनकी परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने को सक्षम किया जा सके, जिससे कि उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित किया जा सके।
- आई.बी.सी. के अंतर्गत, एक कंपनी किसी कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही की मांग कर सकती है, भले ही डिफॉल्ट केवल एक दिन का हो।
- यह 1 करोड़ रुपये की न्यूनतम देहली सीमा के अधीन है, जो पहले 1 लाख रुपये की देहली सीमा थी।

आर्थिक बहाली की आकृतियाँ

खबरों में क्यों है?

- दिया गया है कि कोविड संकट में भारत की अर्थव्यवस्था की कमजोरी के साथ-साथ पर्याप्त राजकोषीय प्रोत्साहन से कम होने के कारण भारत के एक दीर्घाभूत U-आकार की बहाली के साथ समाप्त होने की संभावना है।




YEAR	Likely growth rate of GDP (in %)	Likely absolute GDP in Rs Trillion*	Absolute GDP at 6% growth (Rs Trillion)	Absolute GDP at 8% growth (Rs Trillion)
2019-20 (pre-Covid)	5	207		
2019-20 (post-Covid)	3	203		
2020-21	-12	178	219	224
2021-22	-9	163	233	242
2022-23	6	172	247	261
2023-24	6	183	261	282

Source: Pronab Sen and Ideas for India; Express Research Group
*2019-20 prices

यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड के आने से पहले ही धीमी हो रही थी और अब लॉकडाउन के कारण परेशानी कई गुना बढ़ गई है।
- विशेषज्ञों ने वित्तीय वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत तक की गिरावट की भविष्यवाणी की है।
- यह स्पष्ट रूप से एक संकट की स्थिति है और हमारा इस समस्या से बाहर निकलना बहुत हद तक आर्थिक बहाली के आकार पर निर्भर करेगा, जिसके अनुसरण करने की उम्मीद है।
- 'Z' या कम से कम 'V' आकार की बहाली सबसे अधिक बेहतर रहेगी।
- यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें कम से कम दो वर्ष में अपने पैरों पर पुनः खड़ा होने के लिए U-आकार की बहाली या स्वूश बहाली होनी चाहिए।



आर्थिक बहाली के विभिन्न प्रकार के आकार U, V, W, Z, L, J, स्वूश और उल्टे वर्ग हैं।

Z-आकार की बहाली

- यह सबसे आशावादी परिदृश्य है, जिसमें दुर्घटना के बाद अर्थव्यवस्था फीनिक्स की तरह तेजी से बढ़ती है।
- यह सामान्य रूझान-रेखा पर वापस आने से पहले खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने से कहीं अधिक है (लॉकडाउन हटाए जाने के बाद बदला-खरीदारी के संदर्भ में सोचें), इस प्रकार Z-आकार का चार्ट बनाती है।

V-आकार की बहाली

- V-आकार की बहाली में, अर्थव्यवस्था शीघ्र ही खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेती है और सामान्य विकास रूझान-रेखा पर वापस आ जाती है।

U-आकार की बहाली



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

CHECK HERE

- यह एक बाथटब के समान है, जिसमें अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे सामान्य स्तर तक बढ़ने से पहले गिरने, संघर्ष करने और कुछ समय के लिए कम विकास दर के आसपास रहने के बाद सुधरती है।

W आकार की बहाली

- यह एक खतरनाक प्राणी है- विकास में कमी आती और वृद्धि होती है, लेकिन ठीक होने से पहले पुनः कमी आती है, इस प्रकार W जैसा चार्ट बनाता है।
- W-आकार की बहाली द्वारा दर्शाए गए डबल-डिप से कुछ अर्थशास्त्री भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यदि कोविड की दूसरी लहर साथ आती है और शुरूआती पलटाव धोखा देने के लिए है।

L-आकार की बहाली

- यह सबसे खराब स्थिति है, जिसमें विकास में कमी आने के बाद वह निम्न स्तर पर स्थिर हो जाता है और काफी लंबे समय तक ठीक नहीं होता है।

स्वूथ आकार की बहाली

- यह, V-आकार और U-आकार के बीच में नाइक के प्रतीक के समान है। यहां, विकास में कमी आने के बाद विकास में तेजी से सुधार होने लगता है लेकिन फिर किसी बाधा के कारण विकास में धीमा हो जाता है, यह धीरे-धीरे रूझान-रेखा पर वापस चला जाता है।

J-आकार की बहाली

- इसमें, रूझान-रेखा की तुलना में निम्न से बहुत अधिक चढ़ाव से विकास होता है और वहीं पर रुक जाता है।

उल्टे वर्गमूल के आकार की बहाली

- इस परिदृश्य में, जब कि नीचे से एक पलटाव हो सकता है, विकास धीमा हो जाता है और एक कदम-नीचे स्थिर हो जाता है।



भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर को चिह्नित करने के लिए दूसरे 'राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक' के परिणाम जारी किए हैं।



भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

यह खाद्य सुरक्षा पर दूसरा सूचकांक है, जिसे एफ.एस.एस.ए.आई. ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर "खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय है" की थीम के साथ जारी किया है।

- एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा के पांच मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए यह राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एस.एफ.एस.आई.) विकसित किया है।

श्रेणियों में निम्न शामिल हैं:

- A. मानव संसाधन और संस्थागत व्यवस्थाएं
- B. अनुपालन
- C. खाद्य परीक्षण- अवसंरचना और निगरानी
- D. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- E. उपभोक्ता सशक्तिकरण

प्रमुख विशेषताएं

- बड़े राज्यों की श्रेणी में: गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष पर स्थित हैं।
- छोटे राज्य की श्रेणी में: गोवा पहले स्थान पर है, उसके बाद मणिपुर और मेघालय स्थित हैं।
- केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में: चंडीगढ़ पहले स्थान पर है उसके बाद दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह हैं।

अन्य संबंधित जानकारी

- एफ.एस.एस.ए.आई. ने नागरिकों के लिए 'कोविड-19 के दौरान सही खाएं' पर एक ई-पुस्तिका भी जारी की है।
- यह तत्परता से पालन किए जाने वाले सुरक्षित खाद्य अभ्यासों पर प्रकाश डालता है और स्वास्थ्य और पोषण पर सुझाव देता है।

रमन 1.0

- यह एक हैंड हेल्ड बैटरी से संचालित होने वाला उपकरण है, जो खाद्य तेलों, वसा और घी में आर्थिक रूप से संचालित मिलावट का शीघ्र (1 मिनट से भी कम समय में) पता लगाता है।
- यह उपकरण प्रति बैटरी चार्ज 250 से अधिक नमूनों का परीक्षण करता है, एक स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करके क्लाउड पर डेटा एकत्र करता है और संग्रहीत करता है।

खाद्य सुरक्षा मैजिक बॉक्स

- यह स्कूलों में खाद्य सुरक्षा हेतु एक अभिनव समाधान है।

- यह स्वयं द्वारा किया जाने वाला खाद्य परीक्षण किट है जो खाद्य मिलावट की जांच के लिए एक मैनुअल और उपकरण से मिलकर बना है, जिसका स्कूली बच्चे अपनी कक्षा की प्रयोगशालाओं में उपयोग कर सकते हैं।

सही खाएं (ईट राइट) पुरस्कार

- एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य कंपनियों और व्यक्तियों के योगदान को पहचानने के लिए और नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने में सशक्त बनाने हेतु 'सही खाएं पुरस्कार' की स्थापना की थी, जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने में मदद करेगा।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (एफ.एस.एस. अधिनियम) के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एफ.एस.एस.ए.आई. का प्रशासनिक मंत्रालय है।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।

तुरंत कस्टम्स

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में बेंगलुरु और चेन्नई में अपना प्रमुख कार्यक्रम "तुरंत कस्टम्स" लॉन्च किया है।



उद्देश्य

- यह आयातित वस्तुओं की त्वरित सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु एक बड़ी छलांग है।
- आयातकों को अब आयात के बंदरगाह के बाहर स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दूरस्थ रूप से फेसलेस मूल्यांकन किए जाने के बाद सीमा शुल्क से स्वीकृत अपना माल प्राप्त करना होगा।
- यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बड़ा सुधार भी है।
- बेंगलुरु और चेन्नई में तुरंत कस्टम्स की शुरुआत, अखिल भारतीय रोल आउट का पहला चरण होगा, जो इस वर्ष 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा।

लाभ

- तुरंत कस्टम्स, सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ नियमित इंटरफेस को समाप्त करके और पूरे देश में मूल्यांकन में एकरूपता प्रदान करके आयातकों को लाभान्वित करेगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के संदर्भ में जानकारी



- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, जो भारत में सीमा शुल्क, जी.एस.टी., केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स के प्रशासन हेतु जिम्मेदार है।
- सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना वर्ष 1855 में भारत के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर-जनरल (डलहौजी के अर्ल) द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना भारत में सीमा शुल्क कानूनों के प्रशासन और आयात शुल्क/ भू राजस्व के संग्रह हेतु की गई थी।
- यह भारत के सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक है।
- वर्तमान में, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ जी.एस.टी. विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर मार्च, 1991 से वर्तमान स्तर में 5.8 बिलियन डॉलर से 8,400 प्रतिशत बढ़ गया है।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो रही है और यह शीघ्र ही 500 बिलियन डॉलर तक जा सकता है।



विदेशी मुद्रा भंडार क्या हैं?

- विदेशी मुद्रा भंडार (जिसे फॉरेक्स रिजर्व या एफ.एक्स. रिजर्व भी कहा जाता है), एक केंद्रीय बैंक या अन्य मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई नकदी और अन्य आरक्षित परिसंपत्तियां हैं जो मुख्य रूप से देश के शेष भुगतान के लिए उपलब्ध हैं।
- यह वित्तीय बाजारों में विश्वास बनाए रखने के लिए अपनी मुद्रा की विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करता है।
- रिजर्व, एक या एक से अधिक आरक्षित मुद्राओं में रखे जाते हैं, आजकल ज्यादातर अमेरिकी डॉलर और कुछ हद तक यूरो हैं।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं:

A. विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति (एफ.सी.ए.)

- ये अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और जापानी येन जैसी मुद्राओं में बनाए रखे जाते हैं।

B. सोना

- C. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एस.डी.आर. (विशेष आहरण अधिकार)
D. आई.एम.एफ. में आर.टी.पी. (आरक्षित किश्त स्थिति)



अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने की वजह:

- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का प्रमुख कारण भारतीय शेयरों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश में वृद्धि है।
- विदेशी निवेशकों ने पिछले दो महीनों में कई भारतीय कंपनियों में शेयर लगाए थे।
- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से तेल आयात बिल में कमी आई है, जिससे कीमती विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का क्या महत्व है?

- बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को भारत के बाहरी और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में बहुत आराम मिलता है, जब आर्थिक विकास 2020-21 में 1.5 प्रतिशत तक संकुचित हो गया है।
- यह आर्थिक मोर्चे पर किसी भी संकट की स्थिति में एक बड़ी राहत है और एक वर्ष के लिए देश के आयात बिलों को कवर करने के लिए पर्याप्त है।
- बढ़ते भंडार ने रुपये को डॉलर के मुकाबले मजबूत करने में भी मदद की है।
- जी.डी.पी. अनुपात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 15 प्रतिशत है। भंडार बाजारों को विश्वास का एक स्तर प्रदान करेगा जिससे एक देश निम्न को पूरा कर सकता है-
 - a. बाहरी दायित्वों
 - b. बाहरी परिसंपत्तियों द्वारा घरेलू मुद्रा के समर्थन को प्रदर्शित करना
 - c. विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार की सहायता करना
 - d. बाहरी ऋण दायित्वों और राष्ट्रीय आपदाओं या आपात स्थितियों के लिए एक रिजर्व बनाए रखना

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार कहाँ रखे गए हैं?

- आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 मुद्राओं, उपकरणों, जारीकर्ताओं और समकक्षों के व्यापक मापदंडों के भीतर विभिन्न विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और सोने में भंडार की तैनाती के लिए व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

आपातकालीन ऋण सीमा गारंटी योजना (ई.सी.एल.जी.एस.)

खबरों में क्यों है?

 **Gradeup Green Card**
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
[CHECK HERE](#)

- हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि कोविड आपातकालीन ऋण सुविधा सभी कंपनियों को कवर करती है, न कि केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए है।



आपातकालीन ऋण सीमा गारंटी योजना (ई.सी.एल.जी.सी.) के संदर्भ में जानकारी

- यह पिछले महीने वित्त मंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत मिशन पैकेज का सबसे बड़ा राजकोषीय घटक है।
- इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एन.सी.जी.टी.सी.) द्वारा गारंटीकृत आपातकालीन ऋण सीमा (जी.ई.सी.एल.) के रूप में पात्र कंपनियों और उधारकर्ताओं को 3 लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- इस उद्देश्य के लिए, सरकार द्वारा 41,600 करोड़ रुपये का एक कोष प्रदान किया गया था, जो वर्तमान और अगले तीन वित्तीय वर्षों में प्रसारित था।

योजना का उद्देश्य


- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संकट के कारण होने वाली आर्थिक परेशानी के मद्देनजर सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं को पहुंच बढ़ाने और उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण की सुविधा की उपलब्धता को सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है।

प्रकृति सूचकांक 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, जारी की गई प्रकृति सूचकांक सारिणी 2020 में, भारत को 2019 में देश या क्षेत्र द्वारा रैंक किए गए प्रकृति सूचकांक द्वारा विज्ञान अनुसंधान के उत्पादन में विश्व स्तर पर बारहवें स्थान पर रखा है।
- शीर्ष पांच स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और जापान को प्रदान किए गए हैं।

Nature INDEX



प्रकृति सूचकांक क्या है?

- प्रकृति सूचकांक वार्षिक सारिणी 2020, प्रकृति सूचकांक द्वारा शामिल 82 वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पर आधारित है और प्राकृतिक विज्ञान में 58 शोधकर्ताओं के एक पैनल द्वारा चुना गया है।
- प्रकृति में प्रकृति अनुसंधान के प्रमुख प्रकाशन, एक साप्ताहिक बहु-विषयक पत्रिका है, जिसे पहली बार 1869 में प्रकाशित किया गया था।
- प्रकृति सूचकांक संस्थागत, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले शोध आउटपुट और सहयोग के वास्तविक समय के निकटतम प्रतिनिधि प्रदान करता है।

प्रकृति सूचकांक 2020 और भारत

- भारत, प्रकृति सूचकांक प्रकाशनों में देश-वार रैंकिंग में बारहवें स्थान पर है, भारत ने 2018 से 2019 तक अपने शेयर स्कोर में 4.7% का सुधार किया है।
- हालांकि, वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 उभरते हुए शैक्षणिक संस्थानों की सूची में केवल तीन भारतीय संस्थान हैं।

इसमें शामिल है

- a) आई.आई.एस.ई.आर. कोलकाता 57वें स्थान पर
 - b) आई.आई.टी. मद्रास 77वें स्थान पर
 - c) आई.आई.टी. गुवाहाटी 100वें स्थान पर
- शीर्ष स्थान पर चीनी विज्ञान अकादमी विश्वविद्यालय है।

सीमा समायोजन कर

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, नीति आयोग के एक सदस्य ने घरेलू उद्योगों के लिए सपाट खेल का मैदान उपलब्ध कराने के लिए आयात पर एक सीमा समायोजन कर लगाने समर्थन किया है।
- यह सुझाव संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन व्यापारिक तनाव (व्यापार युद्ध) के परिणामस्वरूप आया है, जिसके कोविड-19 के बाद भी आगे बढ़ने की उम्मीद है।

सीमा समायोजन कर के संदर्भ में जानकारी

- यह एक ऐसा शुल्क है जिसे प्रवेश के बंदरगाह पर वसूल किए जाने वाले सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयातित माल पर लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है। यह एक राजकोषीय उपाय है जो वस्तुओं या सेवाओं पर कराधान के गंतव्य सिद्धांत के अनुसार शुल्क लगाता है।
- इस सिद्धांत के अंतर्गत, सरकारी कर उत्पाद, अपने उत्पादन या उत्पत्ति के स्थान के बजाय अंतिम उपभोक्ता के लिए अपनी बिक्री के स्थान पर आधारित होता है।
- सामान्यतः, बी.ए.टी. एक कर अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पादों या सेवाओं की आपूर्ति करने वाली विदेशी और घरेलू कंपनियों के लिए "प्रतियोगिता की समान स्थिति" को बढ़ावा देना चाहता है।
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के नियम कुछ शर्तों के अंतर्गत सीमा पर कुछ निश्चित प्रकार के आंतरिक करों के समायोजन की अनुमति प्रदान करते हैं।

मुख्य शर्तें निम्नवत हैं:

- कर को उत्पादों और "जैसे" घरेलू उत्पादों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- एक अनुमत सीमा कर समायोजन, एक सहायता प्राप्त निर्यात नहीं होना चाहिए।
- कर एक उत्पाद द्वारा "वहन" किया जाना चाहिए और "प्रत्यक्ष" नहीं होना चाहिए।

पी. के. मोहंती समिति

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने आर.बी.आई. के कार्यकारी निदेशक पी. के. मोहंती की अध्यक्षता में एक पाँच सदस्यीय आंतरिक कार्यकारी समूह का गठन किया है, इस समिति का गठन भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने हेतु किया गया है।



समिति के संदर्भ में जानकारी

- समिति 30 सितंबर, 2020 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

समिति के संदर्भ की शर्तें निम्न हैं:

- यह समूह, निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण पर मौजूदा लाइसेंसिकरण दिशानिर्देशों और विनियमों की जांच करेगा।
- यह स्वामित्व और नियंत्रण की अत्यधिक एकाग्रता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उचित मानदंडों का भी सुझाव देगा।
- यह बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं हेतु पात्रता मानदंड की भी जांच और समीक्षा करेगा और प्रारंभिक लाइसेंसिकरण चरण में प्रमोटर के शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करेगा।
- यह एक गैर-संचालित वित्तीय स्वामित्व कंपनी (एन.ओ.एफ.एच.सी.) के माध्यम से वित्तीय सहायक कंपनियों के स्वामित्व पर वर्तमान नियमों का भी अध्ययन करेगा और सभी बैंकों को एकसमान विनियमन पर स्थानांतरित करने के लिए कदम सुझाएगा।

जांच की आवश्यकता

- निजी क्षेत्र के बैंकों के बड़े शेयरधारकों द्वारा आर.बी.आई. की अनुमति के बाद अपनी हिस्सेदारी को 15% से अधिक बढ़ाने के लिए स्वामित्व पर वर्तमान दिशानिर्देशों की जांच करने की आवश्यकता है।
- सूची में शीर्ष पर हिंदुजास हैं, जो इंडसइंड बैंक के प्रमोटर थे, जो बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहते थे।

नोट:

- बैंक लाइसेंसिकरण नियमों में कहा गया है कि एक निजी बैंक के प्रमोटर को तीन वर्ष के भीतर 40%, 10 वर्षों में 20% और 15 वर्षों में 15% तक स्वामित्व को कम करने की आवश्यकता होगी।
- वर्षों से प्रमोटर स्वामित्व पर नियम बदल गए हैं।

भारत का पहला गैस एक्सचेंज लॉन्च किया गया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत का पहला गैस एक्सचेंज, इंडियन गैस एक्सचेंज (आई.जी.एक्स) लॉन्च किया गया था।
- एक्सचेंज द्वारा प्राकृतिक गैस में पारदर्शी मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करने और भारत की ऊर्जा टोकरी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी के विकास की सुविधा प्रदान करने की उम्मीद है।



यह एक्सचेंज कैसे काम करेगा?

- यह एक डिजिटल व्यापारिक प्लेटफॉर्म है, जो प्राकृतिक गैस के क्रेताओं और विक्रेताओं को आयातित प्राकृतिक गैस के लिए स्पॉट बाजार में और भविष्य के बाजार में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करेगा।
- यह तीन केंद्रों गुजरात में दहेज और हजीरा और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में व्यापार के लिए लागू होगा।
- आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) का पुनः गैसीकरण किया जाएगा और एक्सचेंज के माध्यम से खरीददारों को बेच दिया जाएगा और इस प्रकार, खरीदारों और विक्रेताओं की एक दूसरे को खोजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा।

भारतीय गैस एक्सचेंज (आई.जी.एक्स.) का महत्व

- खरीदारों को उचित मूल्य खोजना सुनिश्चित करने हेतु कई डीलरों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।
- भारतीय गैस एक्सचेंज (आई.जी.एक्स.) भी बहुत छोटे अनुबंधों की अनुमति प्रदान करता है-
- अगले दिन से और एक महीने तक के वितरण हेतु
- दूसरी ओर, स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए अनुबंध छह महीने से एक वर्ष तक लंबे होते हैं।
- इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि यह खरीदारों और विक्रेताओं को अधिक लचीलेपन की अनुमति प्रदान करेगा।
- एक्सचेंज द्वारा प्राकृतिक गैस में समग्र पारदर्शी मूल्य की खोज की सुविधा प्रदान करने और भारत की ऊर्जा टोकरी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी के विकास की सुविधा प्रदान करने की उम्मीद है।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में, प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए आवश्यक पाइपलाइन बुनियादी ढांचा, उन कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिनके पास नेटवर्क का स्वामित्व है।

- राज्य के स्वामित्व वाली गेल, भारत के सबसे बड़े गैस पाइपलाइन नेटवर्क का स्वामित्व और संचालन करती है, जो 12000 कि.मी. से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली संचालक होना आवश्यक है।
- यह पाइपलाइन उपयोग के पारदर्शी आवंटन को सुनिश्चित करने में मदद करेगा और खरीदारों और विक्रेताओं के मस्तिष्क में पाइपलाइन क्षमता के आवंटन में तटस्थता के संदर्भ में विश्वास पैदा करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 2020

खबरों में क्यों है?

- अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस (आई.डी.एफ.आर.), संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया एक सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षण है और प्रत्येक वर्ष 16 जून को मनाया जाता है।



International Day of Family Remittances 16 JUNE

अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 2020 का अर्थ और महत्व

- प्रेषण एक पैसा है, जो उस श्रमिक द्वारा घर वापस भेजा जाता है, जो एक विदेशी भूमि पर काम करता है।
- इस धन (जो प्रवासी श्रमिकों द्वारा घर वापस भेजा जाता है) को विकासशील देशों में सबसे बड़े वित्तीय प्रवाह में से एक माना जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 2020 का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों के प्रयासों को पहचानना है, जो अपने प्रियजनों के जीवन की बेहतरी के लिए मदद करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 2020 का उद्देश्य दुनिया भर में प्रेषण के विकास प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए सभी क्षेत्रों के बीच वर्तमान साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना है।
- अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 2020, दुनिया में प्रेषण के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए भी काम करता है।
- यह दिवस सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को भी आगे बढ़ाता है।
- पहला अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून, 2015 को मनाया गया था।


नोट:

- भारत वर्ष 2018 में विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता है, इसके बाद चीन (67 बिलियन अमेरिकी डॉलर), मैक्सिको (36 बिलियन अमेरिकी डॉलर), फिलीपींस (34 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और मिस्र (29 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हैं।

भारत, पांचवीं मंदी की ओर देख रहा है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय पांचवीं मंदी का सामना कर रहे हैं, जो पिछली मंदी से भिन्न है, क्योंकि यह चुनौतियों के एक नए सेट के साथ आयी है।



मंदी क्या है?

- मंदी को सामान्यतः दो क्रमागत तिमाहियों (छह महीने) के लिए समग्र आर्थिक गतिविधि में गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके साथ ही आय, बिक्री और रोजगार में गिरावट आती है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में चार वर्षों में नकारात्मक जी.डी.पी. वृद्धि दर्ज की गई थी।
- भारत ने 1.2% (वित्त वर्ष 58), -3.66% (वित्त वर्ष 66), -0.32% (वित्त वर्ष 73) और -5.2% (वित्त वर्ष 80) का संकुचन देखा है।

भारत की पिछली मंदी

- भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के अनुसार, स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने चार मंदी देखी है, जो 1958, 1966, 1973 और 1980 में हुई थी।

पांचवीं मंदी अन्य मंदी से किस प्रकार भिन्न है?

- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पिछले संकुचन के सामान्य कारण- कमजोर मानसून और ऊर्जा संकट थे लेकिन यदि विश्लेषकों के अनुसार, भारत के वित्त वर्ष 2021 के जीडीपी संकुचन की बात करे तो इसका कारण पूरी तरह से भिन्न होगा।

अन्य चार मंदी निम्न हैं:

- वित्तीय वर्ष 1958 की मंदी - भुगतान का बैलेंस (बी.ओ.पी.) संकट
- वित्तीय वर्ष 1966 की मंदी - गंभीर सूखा
- वित्तीय वर्ष 1979 की मंदी - ऊर्जा संकट
- वित्तीय वर्ष 1980 की मंदी - बी.ओ.पी. संकट के कारण तेल शॉक
- वित्तीय वर्ष 2021 की मंदी - लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में रुकावट

विश्व निवेश रिपोर्ट

Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
[CHECK HERE](#)

खबरों में क्यों है?

- यू.एन.सी.टी.ए.डी. द्वारा जारी नवीनतम 'विश्व निवेश रिपोर्ट' के अनुसार, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) वर्ष 2019 में 20 प्रतिशत बढ़कर \$51 बिलियन होने के बाद वर्ष 2020 में कोरोनावायरस और इसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और आर्थिक मंदी के कारण से तेजी से घट सकता है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

वैश्विक परिदृश्य

- रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक एफ.डी.आई. प्रवाह के वर्ष 2020 में अपने 2019 के मूल्य 1.54 ट्रिलियन डॉलर से 40% तक कम होने का अनुमान है।
- यह वर्ष 2005 के बाद पहली बार एफ.डी.आई. को \$1 ट्रिलियन से नीचे लाएगा।
- इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022 में बहाली शुरू करने से पहले वर्ष 2021 में एफ.डी.आई. के 5% से 10% और घटने का अनुमान है।
- वर्ष 2017 और 2018 में बड़े पैमाने पर गिरावट के बाद वैश्विक एफ.डी.आई. प्रवाह वर्ष 2019 में मामूली रूप से बढ़ा था।

भारत और रिपोर्ट

- भारत, वर्ष 2018 में दुनिया के शीर्ष एफ.डी.आई. प्राप्तकर्ताओं की सूची में 12वें स्थान से वर्ष 2019 में नौवें स्थान पर पहुंच गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) वर्ष 2019 में 20 प्रतिशत बढ़कर \$51 बिलियन होने के बाद वर्ष 2020 में कोरोनावायरस और इसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और आर्थिक मंदी के कारण से तेजी से घट सकता है।
- भारत में ग्रीनफील्ड निवेश घोषणाओं की संख्या में पहली तिमाही में 4% की गिरावट आई है और एम & ए (विलय और अधिग्रहण) में 58% की गिरावट आई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सबसे अधिक मांग वाले उद्योग, जिनमें व्यवसायिक सेवाएं और डिजिटल क्षेत्र शामिल हैं, इसमें तेजी से पलटाव देखा जा सकता है क्योंकि वैश्विक उद्यम पूंजी फर्म और प्रौद्योगिकी कंपनियां अधिग्रहण के माध्यम से भारत के बाजार में रुचि दर्शा रही हैं।

यू.एन.सी.टी.ए.डी. द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्टें हैं:

- व्यापार एवं विकास रिपोर्ट
- विश्व निवेश रिपोर्ट
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट
- डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट

ऋण-जाल कूटनीति के माध्यम से चीन का जोखिम बढ़ रहा है।

खबरों में क्यों है?

- चीन, दुनिया भर में प्रभाव प्राप्त करने और भारत के पड़ोसी देशों से काफी शक्ति हड़पने के लिए ऋण के वित्तीय उपकरण का उपयोग कर रहा है।


चीन की ऋण-जाल कूटनीति कैसे काम करती है?

- दुनिया भर में तेजी से राजनीतिक और आर्थिक बढ़त हासिल करने के लिए चीन विकासशील देशों को रियायती ऋण के रूप में अरबों डॉलर का वितरण कर रहा है, इनमें से अधिकांशतः अपनी बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए हैं।

- प्रायः विकासशील देशों को परिवर्तनकारी इन्फ्रा परियोजनाओं के लिए सस्ते ऋण के चीन के प्रस्ताव का लालच दिया जाता है, जिसमें पर्याप्त निवेश शामिल होता है।
- ये विकासशील राष्ट्र, जो मुख्य रूप से निम्न या मध्यम-आय वाले देश हैं, ये पुनर्भुगतान करने में असमर्थ होते हैं और फिर बीजिंग को ऋण राहत के बदले रियायत या लाभ की मांग करने का मौका मिलता है।

Generous loans

To lure low- and middle-income countries into its debt trap, China offers loans at interest rates that are usually below market rates and have long grace periods. The lending interest rate has dropped from 5.85% in 2000 to 4.35% in 2019.



चीन द्वारा अनुमोदित ये रियायती ऋण क्या हैं?

- ये ऐसे ऋण हैं, जो उन शर्तों पर निम्न और मध्यम आय वाले देशों तक विस्तारित हैं, जो बाजार ऋण की तुलना में काफी अधिक उदार हैं।
- 'रियायत' कारक या तो ब्याज दरों की पेशकश करके प्राप्त किया जाता है, जो बाजार की दरों से कम होती है या अनुग्रह अवधि में लचीलापन प्रदान किया जाता है और प्रायः यह दोनों का संयोजन होता है। इन ऋणों में सामान्यतः लंबी अनुग्रह अवधि होती है।

चीन के लिए रियायती ऋण के लाभ

- ऐसे कई लाभ या रियायतें हैं, जो चीन ऋण राहत के बदले मांग सकता है।

उदाहरण के लिए-

- उदाहरण के लिए, श्रीलंका को 99 वर्षों के लिए हंबनटोटा बंदरगाह परियोजना का नियंत्रण चीन को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, इसके बाद उसने स्वयं को बीजिंग के स्वामित्व वाले भारी कर्ज के तले दबा पाया था।
- इसने चीन को अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी भारत के मुख्यद्वार पर तैनात एक प्रमुख बंदरगाह और एक प्रमुख वाणिज्यिक और सैन्य जलमार्ग के साथ रणनीतिक रूप से पैर जमाने पर नियंत्रण करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
- इसी प्रकार, राहत के बदले में चीन ने जिबूती में अपना पहला सैन्य अड्डा बनाया था। इसके विपरीत, अंगोला कच्चे तेल के साथ चीन को कई अरब डॉलर के ऋण का पुनर्भुगतान रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी समस्या पैदा हो रही है।

ऋण-जाल, भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है?

- भारत के अधिकांश पड़ोसी, चीन के कर्ज के जाल में फंस गए हैं और चीन की 8 ट्रिलियन डॉलर की परियोजना- एक बेल्ट, एक सड़क पहल (ओ.बी.ओ.आर.) के सुपुर्द हो गए हैं, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना चाहता है।

- पहल के लिए भारत को यह स्वीकार करना आवश्यक है कि कश्मीर नियंत्रित पाकिस्तान क्षेत्र, पाकिस्तान है क्योंकि वहां कुछ परियोजनाएं हैं।
- चीन, ओ.बी.ओ.आर. के माध्यम से भारत की अपने पड़ोसियों से निपटने की राजनीतिक लागत को बढ़ा सकता है।

एल.आई.सी. आई.पी.ओ. 2020: सबसे बड़ा आई.पी.ओ. है, जिसे सरकार लॉन्च करने जा रही है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सरकार ने इस वर्ष के भीतर भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई.पी.ओ.) को लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके एल.आई.सी. के आकार और व्यापकता को देखते हुए भारतीय पूंजी बाजारों में सबसे बड़ा होने की उम्मीद है।

Rules in Place

Proposed IPO touted as India's largest ever

Govt invites bids for pre-IPO process advisors

Up to two advisors to be appointed

THE CRITERIA

₹15,000 cr capital market transaction in past 3 FYs

Or IPO of more than ₹5,000 cr in past 3 FYs

₹2.1 lakh cr Divestment target for FY21

Govt eyeing January-March quarter FY21 for the listing

विनिवेश रोडमैप की पृष्ठभूमि

- बजट 2020-21 में, सरकार ने एल.आई.सी. के आई.पी.ओ. के लिए योजनाओं की घोषणा की थी और स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निजी, खुदरा और संस्थागत निवेशकों को तनावग्रस्त आई.डी.बी.आई. बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया था।
- सरकार को एल.आई.सी. और आई.डी.बी.आई. बैंक में हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से 90,000 करोड़ रुपये और अन्य विनिवेश के माध्यम से 1.2 लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
- सरकार ने पहले भी तीन वर्ष पहले आई.पी.ओ. के माध्यम से जनरल बीमा निगम और न्यू इंडिया एश्योरेंस के शेयरों को सूचीबद्ध किया था।

आई.पी.ओ. के माध्यम से किन लाभों की उम्मीद की जा सकती है?

- एक आई.पी.ओ. निश्चित रूप से एल.आई.सी. के मामलों में पारदर्शिता लाएगा क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजों को समय पर वित्तीय आंकड़ों और बाजार से संबंधित अन्य विकास के संदर्भ में सूचित करना आवश्यक होगा।
- निवेशक बीमा कंपनी में हिस्सेदारी लेकर से लाभ उठा सकते हैं, जो जोखिम अंकन लाभ के साथ-साथ अपने निवेश पर लाभ कमाएगा।
- एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो जाने के बाद विभिन्न इक्विटी और बॉन्ड साधनों में एल.आई.सी. का निवेश अधिक जांच के दायरे में आ जाएगा।

प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई.पी.ओ.) के संदर्भ में जानकारी

- एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई.पी.ओ.), एक नए स्टॉक जारी करने में जनता के लिए एक निजी निगम के शेयरों की पेशकश करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

- सार्वजनिक शेयर जारी करने से एक कंपनी को सार्वजनिक निवेशकों से पूंजी जुटाने की अनुमति मिलती है।
- निजी से सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन, निजी निवेशकों के लिए अपने निवेश से पूरी तरह से लाभ प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण समय हो सकता है क्योंकि इसमें सामान्यतः वर्तमान निजी निवेशकों के लिए शेयर प्रीमियम शामिल होता है।
- इस बीच, यह सार्वजनिक निवेशकों को भी पेशकश में भाग लेने की अनुमति देता है।

नोट:

- पिछले वर्ष, सरकार ने कई बड़े टिकट विनिवेशों पर फैसले लिए हैं।
- इनमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.), शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टिहरी हाइड्रो पावर विकास निगम (THDCIL) और पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड (NEEPCO) शामिल हैं।

सरकारी ई-बाजार (जी.ईएम.)

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी ई-बाजार (जी.ईएम.) ने विक्रेताओं के लिए सभी नए उत्पादों का जी.ईएम. पर पंजीकरण करते समय 'मूल देश' प्रविष्ट करने को अनिवार्य कर दिया है।



लाभ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन वाहन, जी.ईएम. में बदलाव केंद्र के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की नीतियों के तर्ज पर हैं।

- प्लेटफॉर्म पर खरीदार अब विभिन्न उत्पादों में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत देख सकते हैं।
- वे स्थानीय सामग्री के आधार पर अपनी प्राथमिकताओं से मेल खाने वाले उत्पादों को देखने के लिए नए मेक इन इंडिया फिल्टर पर भी स्विच कर सकते हैं।

सरकारी ई-बाजार के संदर्भ में जानकारी

- यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन वाहन है।
- यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है।
- यह केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों (सी.पी.एस.यू. और एस.पी.एस.यू.), स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों के लिए पारदर्शी और कुशल आदमी में सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक एंड-टू-एंड ऑनलाइन बाजार प्रदान करता है।

वार्षिक टी.बी. रिपोर्ट 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वार्षिक टी.बी. रिपोर्ट 2020 जारी की है। उन्होंने एक संयुक्त निगरानी मिशन (जे.एम.एम.) रिपोर्ट भी जारी की है, जो निश्चय प्रणाली के अंतर्गत टी.बी. रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) पर एक मैनुअल है, जो कि एक प्रशिक्षण मॉड्यूल और त्रैमासिक समाचार पत्र निश्चय पत्रिका है।



रिपोर्ट में सूचीबद्ध प्रमुख उपलब्धियों में निम्न शामिल हैं:

- वर्ष 2019 में लगभग 24.04 लाख टी.बी. रोगियों को अधिसूचित किया गया है, जो वर्ष 2018 की तुलना में टी.बी. अधिसूचना में 14% की वृद्धि दर्शाता है।
- निश्चय प्रणाली के माध्यम से टी.बी. रोगियों की निकटतम-पूर्ण ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना
- वर्ष 2017 में 10 लाख से अधिक लापता मामलों की संख्या के मुकाबले यह घटकर 2.9 लाख हो गई है।
- निजी क्षेत्र की अधिसूचनाओं में 35% की वृद्धि हुई है, जिसमें 6.78 लाख टी.बी. रोगियों को अधिसूचित किया गया है।
- आणविक निदान की आसान उपलब्धता के कारण, वर्ष 2018 में 6% की तुलना में वर्ष 2019 में टीबी के निदान वाले बच्चों का अनुपात बढ़कर 8% हो गया।
- सभी अधिसूचित टी.बी. रोगियों के लिए एच.आई.वी. परीक्षण का प्रावधान वर्ष 2018 में 67% से बढ़कर वर्ष 2019 में 81% हो गया है।
- उपचार सेवाओं के विस्तार से अधिसूचित रोगियों की उपचार सफलता दर में 12% सुधार हुआ है।
- वर्ष 2018 में 69% की तुलना में वर्ष 2019 के लिए यह 81% है।

निश्चय ने कार्यक्रम की चार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) योजनाओं के प्रावधान का भी विस्तार किया है-

- टीबी के मरीजों को निश्चय पोषण योजना (एन.पी.वाई.)
- उपचार समर्थकों को प्रोत्साहन राशि

- C. निजी प्रदाताओं के लिए प्रोत्साहन राशि और
- D. अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रों में टी.बी. रोगियों को परिवहन प्रोत्साहन राशि

नोट:

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एन.टी.ई.पी.) के अंतर्गत वर्ष 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच वर्ष पहले वर्ष 2025 तक देश में टी.बी. को खत्म करने के एस.डी.जी. लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

शहरी, बहु-राज्य सहकारी बैंकें आर.बी.आई. की निगरानी में आएंगी।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्र ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) की प्रत्यक्ष निगरानी में सभी शहरी और बहु-राज्य सहकारी बैंकों को लाने का फैसला किया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमाकर्ता सुरक्षित हैं।



वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में, ये बैंक आर.बी.आई. और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के दोहरे विनियमन के अंतर्गत आते हैं।

लाभ

- इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि जमाकर्ता सुरक्षित हैं।
- वर्तमान में, शहरी सहकारी और बहु-राज्य सहकारी बैंकें, जो 1,540 हैं और जिनके पास 8.6 करोड़ का जमाकर्ता आधार है, जिन्होंने लगभग 4.84 लाख करोड़ की बचत की है।
- जैसा कि इन बैंकों को आर.बी.आई. पर्यवेक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया है तो जमाकर्ताओं को अधिक सुरक्षा मिलेगी।

पृष्ठभूमि

- आर.बी.आई. की निगरानी में इन शहरी और बहु-राज्य सहकारी बैंकों को लाने का कदम पिछले वर्ष पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पी.एम.सी.) बैंक में बड़े घोटाले सहित धोखाधड़ी और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के कई उदाहरणों के बाद उठाया गया है।
- सितंबर में, आर.बी.आई. ने पी.एम.सी. बैंक के बोर्ड को हटाने और सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया गया था।

मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋणों के पुनर्भुगतान पर ब्याज आर्थिक सहायता को स्वीकृति प्रदान की गई है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पात्र उधारकर्ताओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सभी शिशु ऋण खातों के लिए 12 महीनों के लिए 2% की ब्याज आर्थिक सहायता हेतु एक योजना को मंजूरी प्रदान की है।
- यह योजना उन ऋणों तक विस्तारित की जाएगी, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं: जो 31 मार्च, 2020 को और योजना के संचालन की अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को गैर-प्रदर्शनकारी परिसंपत्ति (एन.पी.ए.) श्रेणी में बकाया नहीं है।



पृष्ठभूमि

- यह योजना एम.एस.एम.ई. से संबंधित उपायों में से एक को लागू करने के लिए है, जिन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित किया गया है।
- पी.एम.एम.वाई. के अंतर्गत, आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए 50,000 रूपए तक के ऋण को शिशु ऋण कहा जाता है।
- पी.एम.एम.वाई ऋण को सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा विस्तारित किया जाता है, जो कि मुद्रा लिमिटेड के साथ पंजीकृत हैं।

कार्यान्वयन रणनीति

- यह योजना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी और 12 महीने तक परिचालन में रहेगी।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
- यह पी.एस.यू. बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एम.एफ.आई.) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) जैसे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से गैर-कृषि आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण लेने के लिए छोटे ऋणप्राप्तकर्ताओं को सक्षम बनाता है।
- मुद्रा योजना का मिशन आर्थिक सफलता और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में हमारे सहयोगी संस्थानों के साथ मिलकर एक समावेशी, स्थायी और मूल्य आधारित उद्यमशीलता संस्कृति का निर्माण करना है।

पात्रता

- कोई भी भारतीय नागरिक, जिसके पास गैर-कृषि क्षेत्र की आय सृजन गतिविधि जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र के लिए एक व्यवसाय योजना है और जिन्हें 10 लाख रुपये से कम के ऋण की आवश्यकता है, वे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.) के अंतर्गत सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) ऋण का लाभ उठाने के लिए बैंक, एम.एफ.आई. या एन.बी.एफ.सी. से संपर्क कर सकते हैं।

प्रदान किए जाने वाले ऋण के प्रकार

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वावधान में, मुद्रा ने पहले से ही निम्नलिखित उत्पाद/ योजनाएं बनाई हैं।
- **शिशु:** 50,000/- तक के ऋण को शामिल करता है
- **किशोर:** 50,000/- से अधिक और 5 लाख तक के ऋण शामिल करता है
- **तरुण:** 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक के ऋण शामिल करता है

सांख्यिकी दिवस

खबरों में क्यों है?

- केंद्र सरकार दैनिक जीवन में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और जनता को इस बात के लिए जागरूक करने के लिए कि किस प्रकार नीतियां बनाने और तैयार करने में सांख्यिकी मदद करती है, प्रत्येक वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाती है।
- इस वर्ष सांख्यिकी दिवस की थीम एस.डी.जी.-3 (स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र में सभी के लिए कल्याण का प्रचार करें) और एस.डी.जी.-5 (लैंगिक समानता प्राप्त करें और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाएं) है।

National Statistics Day

P.C. Mahalanobis
29 June 1893 - 28 June 1972

The aim of this day is to create public awareness about the importance of data in socio-economic planning and policy formulation.

The banner features a portrait of P.C. Mahalanobis, a bar chart, and a pie chart.

सांख्यिकी दिवस के संदर्भ में जानकारी

- यह दिवस 29 जून को प्रो. पी. सी. महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता प्रदान करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है।

प्रो. पी. सी. महालनोबिस के संदर्भ में जानकारी

- प्रो. प्रसांता चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है।
- वह प्रशिक्षण से एक भौतिक विज्ञानी, प्रवृत्ति से एक सांख्यिकीविद और दृढ़ विश्वास से एक योजनाकार थे।
- दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956 से 1961) पी. सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।

नोट:

- वर्ष 2019 में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएस.पी.आई.) ने एक नए पुरस्कार की स्थापना की थी, जिसका नाम आधिकारिक आंकड़ों के क्षेत्र में प्रो. पी. सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार था।
- यह पुरस्कार केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संस्थानों में आधिकारिक सांख्यिकीविदों की उत्कृष्ट उपलब्धि को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है।

विज्ञान और तकनीकी समसामयिकी

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन के लिए 15 मिलियन डालर की प्रतिज्ञा की है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा आयोजित वर्चुअल वैश्विक टीका शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन, जी.ए.वी.आई. को 15 मिलियन डॉलर की प्रतिज्ञा दी है।



वैश्विक टीका एवं टीकाकरण गठबंधन (जी.ए.वी.आई.) के संदर्भ में जानकारी

- जी.ए.वी.आई. गठबंधन (वैश्विक टीका एवं टीकाकरण गठबंधन) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों की वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है, जो "सभी के लिए टीकाकरण" को समर्पित है।
- यह नीतियों, रणनीतियों और प्राथमिकताओं के चारों-ओर आम सहमति बनाने और क्षेत्र में सबसे अधिक अनुभवों और अंतर्दृष्टि के साथ भागीदार से कार्यान्वयन की जिम्मेदारी की सिफारिश करने के लिए भागीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला हेतु एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है।

उद्देश्य

- जी.ए.वी.आई. की रणनीति बच्चों के जीवन को बचाने और विकासशील देशों में टीकाकरण की पहुंच बढ़ाकर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के अपने मिशन का समर्थन करती है।
- यह प्रदर्शन, नतीजों और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देती है।

वित्तपोषण

- उनके साझेदार देखभाल उन्नयन के लिए टीकों और बौद्धिक संसाधनों के लिए धन उपलब्ध कराते हैं।
- वे टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर रूप से वितरित करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने में भी योगदान देते हैं।


नोट:

- टीकाकरण, वैश्विक स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ खरीदों में से एक है और 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 14 लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
- सबसे दूरगामी स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से एक के रूप में, यह एस.डी.जी.: "कोई पीछे नहीं छूटेगा" की प्रकृति को निकटता से प्रभावित करता है।

प्रॉक्सिमा सेंटौरी बी

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आकार के ग्रह के रूप में प्रॉक्सिमा सेंटौरी बी के अस्तित्व की पुष्टि की है।



प्रॉक्सिमा सेंटौरी बी. के संदर्भ में जानकारी

- यह एक एक्सोप्लैनेट (सौर मंडल के बाहर का ग्रह है) है, जो स्टार प्रॉक्सिमा सेंटौरी तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता है।
- यह पृथ्वी से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जो इसे सौर मंडल का निकटतम ज्ञात एक्सोप्लैनेट बनाता है।

प्रॉक्सिमा सेंटौरी बी. के संदर्भ में जानकारी

- यह लाल रंग का बौना तारा है, जो सूर्य के सबसे निकट स्थित है, जो सेंटारस के दक्षिणी तारामंडल से सिर्फ चार प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।

अल्ट्रा स्वच्छ

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणुशोधन इकाई विकसित की है, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पी.पी.ई.), इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, कपड़े आदि सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को कीटाणुरहित किया जा सकता है।



अल्ट्रा स्वच्छ के संदर्भ में जानकारी

- इसे परमाणु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (आई.एन.एम.ए.एस.) द्वारा विकसित किया गया है, डी.आर.डी.ओ. की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला ने गाजियाबाद के उद्योग भागीदार मैसर्स जेल क्राफ्ट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस उत्पाद को विकसित किया है।


विशेषताएं

- यह प्रणाली एक उन्नत ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया का उपयोग करती है, जिसमें कीटाणुशोधन के लिए ओज़ोनीकृत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कई अवरोध विघटन दृष्टिकोण शामिल हैं।
- यह प्रणाली कीटाणुशोधन चक्र के लिए आवश्यक ओजोन को ट्रैप करने आश्वासन देने वाली विशिष्ट ओजोन सीलेंट प्रौद्योगिकी के साथ दोहरी स्तरित है। इसमें पर्यावरण के अनुकूल निकास अर्थात् केवल ऑक्सीजन और पानी के निकास को सुनिश्चित करने के लिए एक उत्प्रेरक परिवर्तक लगा है।

A3i: भारत में दूसरा सबसे सामान्य कोरोनोवायरस प्रकार है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, कई सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों ने A3i कोरोनोवायरस प्रकार की पहचान की है, जो भारत में दूसरा सबसे अधिक प्रचलित प्रकार हो सकता है और इसमें विश्व स्तर पर 3.5% जीनोम शामिल हो सकते हैं।
- भारत में सबसे प्रमुख कोरोनोवायरस क्लेड A2a है और समूह द्वारा विश्लेषण किए गए 213 जीनोम में से एक है, इनमें से 62% A2a थे।



- यह नया पहचाना गया है, वैज्ञानिकों ने A3i नाम दिया है, जिसमें विश्लेषण किए गए 41% शामिल थे।
- नए क्लैंड के साथ, भारत में पहचाने जाने वाले कम से कम 6 के साथ विश्व स्तर पर 11 सार्स-सी.ओ.वी.-2 प्रकार की पहचान की गई है।


विकासवादी समानताएँ

- कोरोनावायरस प्रकार या क्लैंड, सार्स-सी.ओ.वी.-2 वायरस का एक समूह है जो विकासवादी समानताएं साझा करते हैं और ये उनके जीनोम के कुछ हिस्सों में विशेषता उत्परिवर्तन या समानता के आधार पर समूहीकृत होते हैं।
- इस तरह के वर्गीकरण यह स्थापित करने में उपयोगी होते हैं कि क्या कुछ उपभेदों विशेष रूप से विषैले होते हैं, अधिक आसानी से फैलते हैं, वे समय के साथ कैसे विकसित होने की संभावना रखते हैं और क्या कुछ विशेष प्रकार के टीकों के लिए कम कमजोर हो सकते हैं।

के.ओ.आई.-456.04

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, वैज्ञानिकों ने के.ओ.आई.-456.04 नामक एक नया एक्सोप्लैनेट तारों का जोड़ा खोजा है, जो सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के समान है।



- तारा केपलर-160 और उसका साथी के.ओ.आई.-456.04 किसी भी पहले से ज्ञात एक्सोप्लैनेट तारों की जोड़ी की तुलना में सूर्य-पृथ्वी प्रणाली की अधिक याद दिलाते हैं। जर्मनी के गोटिंगेन में मैक्स प्लैंक सौर प्रणाली अनुसंधान संस्थान (एम.पी.एस.) के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम के अनुसार, तारा केपलर-160 और उसका साथी के.ओ.आई.-456.04 किसी भी पहले से ज्ञात एक्सोप्लैनेट तारों की जोड़ी की तुलना में सूर्य-पृथ्वी प्रणाली की अधिक याद दिलाते हैं।

- संभावित रूप से तारा केपलर-160 की परिक्रमा एक ऐसे ग्रह द्वारा की गई है जो तारे-ग्रह के बीच की दूरी के साथ पृथ्वी के आकार के दोगुने से कम है, जो कि ग्रह की सतह के तापमान को जीवन के अनुकूल होने की अनुमति दे सकता है।
- नया खोजा गया एक्सोप्लैनेट, सिर्फ एक अन्य संभावित रूप से रहने योग्य दुनिया से अधिक है।

सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के साथ समानता

- के.ओ.आई.-456.04 किसी भी अन्य ज्ञात दुनिया की तुलना में सूर्य-पृथ्वी प्रणाली से अधिक समानता रखता है, जो इसका सूर्य जैसा मेजबान तारा है।
- के.ओ.आई.-456.04 पर इसके सूर्य जैसे मेजबान तारे द्वारा डाला गया प्रकाश, हमारे घरेलू ग्रह पर देखे गए दिन के उजाले के समान है।
- इसके अतिरिक्त, अपने सूर्य जैसे तारे के चारो-ओर के.ओ.आई.-456.04 की कक्षीय अवधि, लगभग एक पृथ्वी वर्ष के समान है।
- के.ओ.आई.-456.01, कई अन्य ग्रहों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ा है, जिन्हें संभावित रूप से रहने योग्य माना जाता है।

तारा केपलर-160 के संदर्भ में जानकारी

- यह केपलर प्राथमिक मिशन के दृश्य क्षेत्र में स्थित था और 2009 से 2013 तक लगातार देखा गया था।
- इसकी त्रिज्या 1.1 सौर त्रिज्या, सतह का तापमान 5,200 डिग्री सेल्सियस (सूर्य से 300 डिग्री कम है) है।
- इसमें सूर्य जैसी तारकीय चमक है, जो इसे हमारे अपने जनक तारे का एक खगोलीय चित्रण बनाती है।

163348 (2002 एन.एन. 4) क्षुद्रग्रह


खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, नासा ने घोषणा की है कि 163348 (2002 एन.एन. 4) नामक एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास से गुजरने की उम्मीद है। क्षुद्रग्रह, एक निकट-पृथ्वी निकाय (एन.ई.ओ.) है और इसे संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रह (पी.एच.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।



163348 (2002 एन.एन.4) के संदर्भ में जानकारी

- इस क्षुद्रग्रह को संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि क्षुद्रग्रह में खतरनाक रूप से पृथ्वी के करीब आने की क्षमता है।



किस क्षुद्रग्रह को संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रह कहा जाता है?

- यह लगभग 0.05 खगोलीय इकाई की एक न्यूनतम कक्षा प्रतिच्छेदन दूरी (एम.ओ.आई.डी.) के साथ क्षुद्रग्रह होता है, जो लगभग 7,480,000 कि.मी. या उससे कम है और 22 (व्यास में लगभग 150 मी. या 500 फीट से कम होता है) या इससे कम के एक पूर्ण परिमाण (H) को पी.एच.ए. माना जाता है।
- खगोलीय इकाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है और लगभग 150 मिलियन कि.मी. है।

निकट-पृथ्वी निकाय (एन.ई.ओ.) क्या हैं?

- एन.ई.ओ. कभी-कभी पृथ्वी के करीब पहुंचते हैं क्यों कि वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, नासा का निकट-पृथ्वी निकाय अध्ययन केंद्र (सी.एन.ई.ओ.एस.) इन निकायों का समय और दूरी निर्धारित करता है कि कब और कैसे पृथ्वी के प्रति उनका दृष्टिकोण निकटतम है।
- नासा ने एन.ई.ओ. को धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों के रूप में परिभाषित किया है, जो निकटतम ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा कक्षाओं में घूमता है जो इन्हें पृथ्वी के पड़ोस में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करता है।
- ये निकाय अधिकांशतः अंतर्निहित धूल के कणों के साथ जमी बर्फ के कणों से मिलकर बने होते हैं।

नोट:

- नासा के निकट-पृथ्वी निकाय अवलोकन कार्यक्रम ने एन.ई.ओ. की अनुमानित संख्या के 90 प्रतिशत से अधिक को खोजा, ट्रैक किया और उनकी विशेषताओं का पता लगाया है, जो आकार में 140 मीटर या उससे बड़े (एक छोटे फुटबॉल स्टेडियम से बड़ा) हैं।

भारत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (जी.पी.ए.आई.) में शामिल हुआ है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (जी.पी.ए.आई. अथवा जी-पे) लांच करने हेतु प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की लीग में शामिल हुआ है।



कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी के संदर्भ में जानकारी

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय और बहु-हितधारक पहल है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर शामिल हैं। यह जिम्मेदार विकास और ए.आई. के प्रयोग को निर्देशित करता है, यह मानवाधिकारों, समावेश, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास पर आधारित है।
- यह भागीदार देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करके ए.आई. के आसपास चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने हेतु इस प्रकार की पहली पहल भी है।

भारतीयों के लिए महत्व

- एक संस्थापक सदस्य के रूप में जी.पी.ए.आई. में शामिल होने से, भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा, समावेशी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के आसपास अपने अनुभव का लाभ उठाएगा।
- जी.पी.ए.आई. को सचिवालय द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसे पेरिस में आर्थिक सहयोग एवं विकास विकास (ओ.ई.सी.डी.) द्वारा आयोजित किया जाएगा, इसके साथ ही साथ दो विशेषज्ञता केंद्र भी बनाए जाएंगे, जिसमें से मॉन्ट्रियल और पेरिस में एक-एक केंद्र होगा।

बोस-आइंस्टीन संघनन (बी.ई.सी.)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, नासा के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किए जा रहे बी.ई.सी. परीक्षणों के पहले परिणामों का अनावरण किया है, जहां कणों को पृथ्वी की बाधाओं से मुक्त किया जा सकता है।




बोस-आइंस्टीन संघनन (बी.ई.सी.) के संदर्भ में जानकारी

- बोस-आइंस्टीन संघनन- जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी लगभग एक सदी पहले अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, जब कुछ निश्चित तत्वों के परमाणुओं को पूर्ण शून्य (0 केल्विन, माइनस 273.15 सेल्सियस) के लगभग ठंडा किया जाता है तो यह अवस्था बनती है।
- इस बिंदु पर, परमाणु क्वांटम गुणों के साथ एक एकल इकाई बन जाते हैं, जिसमें प्रत्येक कण, पदार्थ की एक तरंग के रूप में भी कार्य करता है।
- बी.ई.सी., सूक्ष्मदर्शी विश्व के बीच एक रेखा खींचकर दूरी बनाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण और सूक्ष्मदर्शी समतल जैसे बलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यह क्वांटम यांत्रिकी द्वारा नियमबद्ध है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि बी.ई.सी. में रहस्यमयी घटनाओं जैसे कि डार्क एनर्जी के महत्वपूर्ण सुराग मौजूद हैं, यह एक अज्ञात ऊर्जा है जिसे ब्रह्मंड के त्वरित विस्तार के पीछे का कारण माना जाता है।

नासा का गेटवे लुनार ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, गेटवे लुनार ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट के लिए आवास और रसद (एच.ए.एल.ओ.) समर्थन नामक प्रारंभिक चालक दल मॉड्यूल के लिए अनुबंध को अंतिम रूप प्रदान किया गया है।



गेटवे लुनार ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट के संदर्भ में जानकारी

- यह एक छोटा सा अंतरिक्ष यान है, जो चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेगा, जिसका अर्थ चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष यात्रा मिशन है और बाद में यह मंगल अभियानों के लिए होगा। नासा ने इसे कनाडा

(सी.एस.ए.), यूरोप (ई.एस.ए.) और जापान (जाक्सा) जैसे वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर विकसित किया गया है।

- यह नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना है।
- इस गेटवे की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि इसे और अधिक शोध करने के लिए चंद्रमा के आसपास अन्य कक्षाओं में ले जाया जा सकता है।
- यह एक अस्थायी कार्यालय के रूप में कार्य करेगा और पृथ्वी से लगभग 250,000 मील की दूरी पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने वाले क्वार्टर के रूप में कार्य करेगा।

उद्देश्य

- यह अंतरिक्ष यात्रियों को रहने के लिए क्वार्टर प्रदान करके उनके लिए एक अस्थायी कार्यालय के रूप में काम करेगा, विज्ञान और अनुसंधान के लिए एक प्रयोगशाला, अन्य के बीच अंतरिक्ष यान पर जाने के लिए एक बंदरगाह प्रदान करेगा।

संबंधित शब्द

निवास और रसद (एच.ए.एल.ओ.)

- एच.ए.एल.ओ. को रहने योग्य प्रेसराइज्ड क्वार्टर के रूप में संदर्भित किया गया है, जहां अंतरिक्ष यात्री गेटवे का दौरा करते हुए अपना समय बिताएंगे।

डेक्सामेथासोन, कोविड-19 की पहली जीवन रक्षक दवा के रूप में उभरकर सामने आई है।

खबरों में क्यों है?

- कोविड-19 के उपचार में एक बड़ी सफलता में ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जेनेरिक स्टेरॉयड दवा डेक्सामेथासोन ने गंभीर रूप से बीमार अस्पताल में भर्ती मरीजों की मौतों की संख्या में एक तिहाई तक की कमी की है।
- ये परिणाम यू.के. स्थित रिकवरी परीक्षण का एक हिस्सा हैं, जो कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए दवाओं के दुनिया के सबसे व्यापक यादृच्छिक परीक्षणों में से एक है।



डेक्सामेथासोन क्या है?

- डेक्सामेथासोन, सूजन को कम करने के लिए अन्य बीमारियों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक जेनेरिक स्टेरॉयड है।
- यह दवा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के हद से ज्यादा थक जाने पर होने वाली क्षति को रोकने में मदद करती है क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली कोरोनावायरस से लड़ने का प्रयास करती है।

- इस दवा का बीमारियों की एक श्रेणी का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह दवा गठिया, अस्थमा, एलर्जी, और यहां तक कि कैंसर के रोगियों में कीमोथेरेपी के कारण जी मिचलाने को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करने के लिए दी जाती है।

ओ.ओ.डी.बी.टी.- कोविड टेस्टिंग आई-लैब के लिए ए.एम.टी.जेड. गतिशील नैदानिक इकाई

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, कोविड टेस्टिंग के लिए भारत की पहली आई-लैब (संक्रामक रोग नैदानिक प्रयोगशाला) का भारत के ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों के केंद्रीय मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था।



डी.बी.टी.-ए.एम.टी.जेड. कमांड के संदर्भ में जानकारी

- आंध्र प्रदेश मेड-टेक ज़ोन (ए.एम.टी.जेड.) के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) ने डी.बी.टी.-ए.एम.टी.जेड. कमांड (कोविड-19 मेडटेक विनिर्माण विकास) की शुरुआत की है।

उद्देश्य

- यह भारत में गंभीर स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों की कमी को दूर करने में मदद करता है और आत्मनिर्भरता के चरण की ओर प्रगतिशील रूप से बढ़ता है।
- ए.एम.टी.जेड., एशिया का पहला चिकित्सा उपकरण विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र है, जो विशिष्ट रूप से चिकित्सा प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित है और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समर्थित है।

संक्रामक रोग नैदानिक प्रयोगशाला (आई-लैब) के संदर्भ में जानकारी

- इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है।
- यह प्रयोगशाला क्षेत्रीय/ शहरी केंद्रों को प्रदान की जाएगी और इसे वे भविष्य में क्षेत्र के आंतरिक, दुर्गम भागों में तैनात करेंगे।
- यह ग्रामीण भारत में परीक्षण के अंतिम मील तक पहुंचने को बढ़ावा देने में मदद करती है, कोविड-कमांड रणनीति के अंतर्गत डी.बी.टी. ने ए.एम.टी.जेड. के माध्यम से गतिशील परीक्षण प्रयोगशालाओं के निर्माण का समर्थन किया है।

अद्वितीय विशेषताएं


- इन गतिशील परीक्षण प्रयोगशालाओं की अद्वितीय विशेषता कोविड अवधि के बाद अन्य संक्रामक रोगों के निदान में इनकी उपयोगिता है।

- एक टुक विवरण का क्जोल-अप स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है।

लीशमैनियासिस (काला-अजार)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, पुणे में जैवप्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (डी.बी.टी.-एन.सी.सी.एस.) में शोधकर्ताओं की एक टीम मिलेटेफोसिन (लीशमैनियासिस/ काला-अजार का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा) प्रतिरोध से निपटने के तरीके तलाश रही है।



कालाजार के लिए प्रतिरोध का तंत्र

- विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के अणु, जिन्हें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहा जाता है, ये परजीवी के शरीर में जाने और बाहर आने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो एकल कोशिका से मिलकर बने होते हैं।
- P4ATPase-CDC50 नामक एक प्रोटीन, परजीवी द्वारा दवा के सेवन के लिए जिम्मेदार होता है और एक अन्य प्रोटीन, परजीवी के शरीर के भीतर से इस दवा को बाहर फेंकने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे 'P-ग्लाइकोप्रोटीन' कहा जाता है।
- पहले के प्रोटीन की गतिविधि में कमी और बाद वाले प्रोटीन की गतिविधि में वृद्धि के परिणामस्वरूप परजीवी के शरीर के भीतर कुछ मात्रा में मिलेटेफोसिन जमा हो जाता है, इस प्रकार यह दवा के लिए प्रतिरोधी बन जाता है। शोधकर्ताओं ने लीशमैनिया की एक प्रजाति पर काम किया है जो संक्रमण का कारण बनती है, जिसे लीशमैनिया प्रमुख कहा जाता है।
- उन्होंने इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीनों को प्रजातियों में इस प्रकार से विनियमित करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप दवा की अधिक मात्रा ली गई और परजीवी के शरीर से बाहर फेंकने की मात्रा में कमी आ गई थी।
- लीशमैनियासिस के लिए उपलब्ध एकमात्र दवा, मिलेटेफोसिन है, जो कि परजीवी के शरीर के अंदर संचय में कमी के कारण इसके उभरते प्रतिरोध के कारण तेजी से अपनी प्रभावशीलता खो रही है, जो परजीवी को मारने के लिए आवश्यक दवा है।

लीशमैनियासिस के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत सहित लगभग 100 देशों को प्रभावित करने वाली एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है।
- यह लीशमैनिया नामक एक परजीवी के कारण होती है, जो सैंडफ्लाइज़ (बड़मकखी) के काटने से फैलता है।
- लीशमैनियासिस के तीन प्राथमिक रूप हैं:

- A. आंत, जो कई अंगों को प्रभावित करती है और बीमारी का सबसे गंभीर रूप है।
- B. त्वचीय, जो त्वचा के घावों का कारण बनता है और सबसे सामान्य रूप है।
- C. म्यूकोक्यूटेनियस, जो त्वचा और म्यूकोसल घाव का कारण बनता है।

नोट:

- भारत में सामान्यतः काला-अज़ार के रूप में जाने जाने वाले विसर्जन लीशमैनियासिस 95% से अधिक मामलों में घातक होता है यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए।

सरकार ने डेक्सामेथासोन के उपयोग को मंजूरी प्रदान की है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 मामलों के लिए एक अद्यतन नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया है। इसमें मध्यम से गंभीर मामलों के प्रबंधन के लिए मिथाइलप्रेडिसोलोन के विकल्प के रूप में डेक्सामेथासोन का उपयोग करने की सलाह शामिल है।



डेक्सामेथासोन के संदर्भ में जानकारी

- यह एक कॉर्टिकोस्टेरोइड दवा है, जिसका उपयोग इसके सूजन रोधी और प्रतिरक्षादमनकारी प्रभावों के लिए कई स्थितियों में किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम में 'रिकवरी' नैदानिक परीक्षण में कोविड-19 के अस्पताल में भर्ती मरीजों पर दवा का परीक्षण किया गया है और पाया गया है कि यह गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए लाभदायक है और वेंटिलेटर पर रोगियों के लिए मृत्यु दर को एक-तिहाई तक कम करने और ऑक्सीजन थेरेपी पर निर्भर रोगियों के लिए मृत्यु दर को पांचवें भाग तक कम कर देता है।
- यह दवा आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एन.एल.ई.एम.) का एक हिस्सा भी है और व्यापक रूप से उपलब्ध है।

सुरक्षा घटनाक्रम

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना की पहुँच को ब्लॉक करने हेतु प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत 59 मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।



सम्बंधित जानकारी

- मंत्रालय के अनुसार, ये ऐप उन गतिविधियों में संलग्न हैं, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए का शीर्षक "किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के सार्वजनिक पहुँच के लिए ब्लॉक करने हेतु निर्देश जारी करने की शक्ति" है।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय ने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए एक संपूर्ण सिफारिश भेजी है।

थाड (THAAD) रक्षा प्रणाली

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, चीन ने दक्षिण कोरिया में अमेरिकी थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली की उपस्थिति के लिए अपनी दीर्घकालिक आपत्तियों को दोहराते हुए एक बयान जारी किया है।



THAAD क्या है?

- THAAD का पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, यह परिवहनीय है और जमीन आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है।
- यह एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है।
- यह अंतरिक्ष-आधारित और जमीन-आधारित निगरानी स्टेशनों के साथ युग्मित है, जो आने वाली मिसाइल के बारे में डेटा को स्थानांतरित करता है और खतरे के प्रकार के वर्गीकरण के आधार पर THAAD इंटरसेप्टर मिसाइल को सूचित करता है।
- THAAD, अवरक्त सेंसर वाले अंतरिक्ष-आधारित उपग्रहों द्वारा आने वाली मिसाइलों के बारे में चेतावनी देता है।

नोट:

- केवल दक्षिण कोरिया, THAAD मिसाइल रक्षा प्रणाली वाला देश नहीं है।
- इसे पहले यू.ए.ई., गुआम, इज़राइल और रोमानिया में तैनात किया गया है।

इनर लाइन परमिट

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक राष्ट्रपति के आदेश के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने असम को अपने जिलों में इनर लाइन प्रणाली को लागू करने और ऐतिहासिक नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की प्रयोज्यता को सीमित करने के अधिकारों से वंचित करने का दावा किया था।



पृष्ठभूमि

- इनर लाइन परमिट, बंगाल पूर्वी फ्रंटियर विनियमन अधिनियम, 1873 का विस्तार है।
- ब्रिटिशों ने कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले नियम बनाए थे।
- यह "ब्रिटिश विषयों" (भारतीयों) को इन क्षेत्रों में व्यापार करने से रोककर कुछ निश्चित राज्यों में क्राउन के हितों की रक्षा करने हेतु किया गया था।

इनर लाइन परमिट के संदर्भ में जानकारी

- यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जो भारत सरकार द्वारा एक सीमित अवधि के लिए एक संरक्षित क्षेत्र में एक भारतीय नागरिक को यात्रा की अनुमति देने हेतु जारी किया जाता है।
- कुछ निश्चित राज्यों के भारतीय नागरिकों के लिए इस तरह का परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है।
- वर्तमान में, चार पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया है अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम इनर लाइन द्वारा संरक्षित हैं और हाल ही में, मणिपुर को भी जोड़ा गया था।
- इनर लाइन परमिट, ठहरने की अवधि और किसी भी गैर-देशी व्यक्ति के लिए पहुँच की अनुमति वाले क्षेत्रों दोनों को निर्धारित करता है।
- संबंधित राज्य सरकार आई.एल.पी. जारी करती है।

विविद

वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट: विश्व बैंक

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, 2020 जारी की है, जिसमें देशों पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों को प्रमुखता से दर्शाया गया है।



रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

 **Gradeup Green Card**
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams [CHECK HERE](#)

- कोविड-19 वैश्विक महामारी से आर्थिक विकास पर "गंभीर" छोटे और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ई.एम.डी.ई.) विशेष रूप से कमजोर हैं, जो स्वास्थ्य संकट, प्रतिबंध और व्यापार, पर्यटन और उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में गिरावट जैसे बाहरी झटकों के साथ ही साथ पूंजी के बहिर्वाह का सामना करते हैं।
- पिछली महामारियों के अध्ययन के आधार पर इन देशों को अल्पावधि में 3-8% उत्पादन हानि होने की उम्मीद है।
- इस वर्ष 60 लाख लोग अत्यधिक गरीबी में आ सकते हैं।

विश्व बैंक के संदर्भ में जानकारी

- विश्व बैंक समूह, विकासशील देशों के लिए धन और ज्ञान के दुनिया के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।
- इसकी पाँच संस्थाएँ गरीबी कम करने, साझा समृद्धि बढ़ाने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता साझा करती हैं।

समूह में शामिल संगठन हैं:

- a. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.)
- b. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ.सी.)
- c. बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एम.आई.जी.ए.)
- d. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.)
- e. निवेश विवादों के निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई.सी.एस.आई.डी.)

नोट:

- आई.बी.आर.डी., आई.एफ.सी. और आई.डी.ए. संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां हैं, जबकि निवेश विवादों के निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई.सी.एस.आई.डी.) और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एम.आई.जी.ए.) विशिष्ट एजेंसियां नहीं हैं।

विश्व बैंक की अन्य रिपोर्टें और सूचकांक

- a. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
- b. विश्व विकास रिपोर्ट
- c. वैश्विक आर्थिक संभावना (जी.ई.पी.) रिपोर्ट
- d. प्रेषण रिपोर्ट
- e. ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स
- f. भारत विकास अपडेट
- g. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सूचकांक
- h. सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक

क्यू.एस. विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग

खबरों में क्यों है?

- क्वाकारेल्ली साइमंड्स (क्यू.एस.) ने हाल ही में अपनी वार्षिक क्यू.एस. विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रकाशित की है।



क्यू.एस. विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग के संदर्भ में जानकारी

- इसे पहले टाइम्स हायर एजुकेशन- क्यू.एस. विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग के रूप में जाना जाता था।
- प्रकाशक ने अपने संस्करणों की घोषणा करने के लिए दोनों को शुरू करने से पहले 2004 से 2009 तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय लीग सारिणी प्रकाशित करने के लिए टाइम्स हायर एजुकेशन (टी.एच.ई.) पत्रिका के साथ मिलकर काम किया था।
- क्यू.एस. ने पहले से मौजूद कार्यप्रणाली का उपयोग करना जारी रखा है, जब कि टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी रैंकिंग बनाने के लिए एक नई पद्धति अपनाई है।

क्यू.एस. विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग की पद्धति:

क्यू.एस. विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग के 6 संकेतक

संकेतक	भार	विस्तार
अकादमिक सहकर्मी समीक्षा	40%	आंतरिक वैश्विक अकादमिक सर्वेक्षण पर आधारित
संकाय/छात्र अनुपात	20%	शिक्षण प्रतिबद्धता का मापक
प्रति संकाय उद्धरण	20%	अनुसंधान प्रभाव का मापक
नियोक्ता प्रतिष्ठा	10%	स्नातक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण पर आधारित
अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात	5%	छात्र समुदाय की विविधता का मापक
अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ अनुपात	5%	अकादमिक स्टाफ की विविधता का मापक

रैंकिंग और भारत

- शीर्ष पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान सभी इस वर्ष की क्यू.एस. विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में नीचे आ गए हैं।
- केंद्र की प्रमुख प्रतिष्ठित संस्थान योजना के बावजूद शीर्ष 1,000 वैश्विक सूची में भारतीय संस्थानों की कुल संख्या भी 24 से घटकर 21 हो गई है।

रैंकिंग:

 **Gradeup Green Card**
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams [CHECK HERE](#)

- आई.आई.टी.-बॉम्बे ने क्यू.एस. रैंकिंग में भारत के शीर्ष संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है, लेकिन वैश्विक सूची में 20 स्थान नीचे गिरकर 152 से 172 पर आ गया है।
- आई.आई.एससी. ने आई.आई.टी. दिल्ली को पछाड़कर दूसरे स्थान पर कर दिया है लेकिन फिर भी वह एक स्थान नीचे गिरकर 185वें स्थान पर आ गया है।
- आई.आई.टी. दिल्ली रैंकिंग में 10 से अधिक स्थान नीचे गिरकर 193वें स्थान पर आ गया है, जब कि आई.आई.टी. मद्रास 275वें स्थान पर है। आई.आई.टी. खड़गपुर और आई.आई.टी. कानपुर दोनों शीर्ष 300 से बाहर हो गए हैं।
- आई.आई.टी. हैदराबाद ने पहली बार शीर्ष 1,000 में प्रवेश किया है।

अंतर्राष्ट्रीयकरण में खराब स्कोर के कारण:

- छह मापदंडों में से, भारतीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्रों के अनुपात पर शून्य अंक मिलते हैं।
- संकाय-छात्र अनुपात पर खराब अंक
- ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल आई.आई.टी. पूर्णकालिक संकाय की गिनती करते हैं, जब कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पी.एच.डी. छात्र शामिल हैं जो शिक्षण या अनुसंधान सहायक हैं। आई.आई.टी. अनुसंधान प्रभाव मापदंड पर काफी अच्छा काम करते हैं।

सरकार की पहल

- देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक रूप से वित्तपोषित करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन है।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एन.आई.आर.एफ.) को अनुसंधान सहित विभिन्न मापदंडों में विश्वविद्यालयों और संस्थानों को स्थान प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- 'श्रेष्ठता के संस्थान (आई.ओ.ई.)' योजना, जहां भारत सरकार ने विश्व स्तर के विश्वविद्यालय बनाने के लिए 20 संस्थानों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, जिनमें से 6 पहले ही घोषित किए जा चुके हैं और एक दर्जन से अधिक स्थिति के उन्नयन का इंतजार कर रहे हैं।
- आई.आई.टी., श्रेष्ठता के संस्थान योजना के अंतर्गत धन प्राप्त करते हैं।

प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप

- संभ्रांत भारतीय संस्थानों से कम से कम 8.0 के संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सी.जी.पी.ए.) के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र आई.आई.टी. और आई.आई.एससी. के पी.एच.डी. कार्यक्रमों में सीधे प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- उन्हें योजना के अंतर्गत उचित मुआवजा भी दिया जाएगा।

कार्यकाल निगरानी प्रणाली

- हाल ही में, आई.आई.टी. परिषद ने असिस्टेंट प्रोफेसरों को काम पर रखने और पुष्टि करने के लिए कार्यकाल निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है।
- एम.एच.आर.डी. इस प्रणाली को केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे ने वर्ष 2030 तक सभी संस्थानों में इसकी शुरुआत की सिफारिश की है।

कार्यकाल निगरानी प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- इस प्रणाली के अंतर्गत, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को अनिवार्य पद-पी.एच.डी. अनुभव की योग्यता के बिना काम पर रखा जा सकता है और तीन वर्ष के बाद आंतरिक रूप से उसके प्रदर्शन की समीक्षा की जाती रहेगी।

- 5.5 वर्षों के अंत में एक बाहरी समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर, उसे या तो कार्यकाल दिया जा सकता है (स्थायी रूप से) और अगले उच्च स्तर के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है या छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।


नोट:

- आई.आई.टी. स्केलिंग ग्रेटर हाइट्स को सुगम बनाने के लिए स्वायत्तता के उपायों की सिफारिश करने के लिए एम.एच.आर.डी. द्वारा अनिल काकोडकर समिति को नियुक्त किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना की पहुँच को ब्लॉक करने हेतु प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।



सम्बंधित जानकारी

- मंत्रालय के अनुसार, ये ऐप उन गतिविधियों में संलग्न हैं, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए का शीर्षक "किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के सार्वजनिक पहुँच के लिए ब्लॉक करने हेतु निर्देश जारी करने की शक्ति" है।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय ने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए एक संपूर्ण सिफारिश भेजी है।

सिपरी ईयरबुक 2020

- स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सिपरी) ने सिपरी ईयरबुक 2020 के निष्कर्षों को लॉन्च किया है, जो आयुध, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करता है।

A green banner with a white border. On the left, there is a small image of a person sitting at a desk with a laptop. To the right of the image, the text reads "Gradeup Green Card" in bold white font, followed by "Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams" in a smaller white font. On the far right, there is a red button with the text "CHECK HERE" in white.

- जनवरी, 2020 तक के आंकड़े अपडेट किए गए हैं।



रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

बढ़ते तनाव के बावजूद परमाणु वारहेड में कमी जारी है

- 9 परमाणु सशस्त्र राज्य- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल और उत्तर कोरिया के पास एक साथ वर्ष 2020 की शुरुआत में 13400 परमाणु हथियार थे, जब कि वर्ष 2019 की शुरुआत में इनके पास कुल 13865 परमाणु हथियार थे।
- वर्ष 2019 में दुनिया में परमाणु हथियारों की कुल संख्या में कमी काफी हद तक रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सेवानिवृत्त परमाणु हथियारों के विघटन के कारण थी, जिनके पास अभी भी वैश्विक परमाणु हथियारों के 90 प्रतिशत से अधिक मौजूद हैं।
- अमेरिका और रूसी सामरिक परमाणु बलों में कमी वर्ष 2010 की सामरिक आक्रामक हथियारों के आगे के न्यूनीकरण और समिति करने हेतु उपायों पर संधि (New START) तक आवश्यक थी, जो कि वर्ष 2018 में पूरी हो गई है और वर्ष 2019 में दोनों देशों की सेनाएं संधि द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से नीचे बनी रही हैं।
- New START फरवरी, 2021 में समाप्त हो जाएगा, जब तक कि दोनों पक्ष इसे आगे जारी रखने पर राजी नहीं होंगे।
- वर्ष 2019 में परमाणु वारहेड्स की संख्या में समग्र कमी के बावजूद, सभी परमाणु हथियार रखने वाले राज्यों ने अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाना जारी रखा है।

भारत और उसके पड़ोसी राज्य

- चीन और पाकिस्तान के पास भारत से अधिक परमाणु हथियार हैं।
- वर्ष 2019 में, भारत में 130-140 वॉरहेड थे, जो भारत को दुनिया में 6वें स्थान पर रखते हैं।
- चीन पहली बार एक परमाणु त्रिक विकसित कर रहा है, जो नई भूमि और समुद्र आधारित मिसाइलों और परमाणु-सक्षम विमान से मिलकर बना है।

स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में जानकारी

- यह स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान हेतु समर्पित है, जिसे वर्ष 1966 में स्थापित किया गया है।

Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
CHECK HERE

- यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता के लिए ओपेन स्रोतों के आधार पर डेटा, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। सिपरी, स्टॉकहोम में स्थित है।

gradeup

A promotional banner for Gradeup Green Card. It features a dark background on the left with a person working on a laptop. The text is in white and green. A red button with white text is on the right.

Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock
Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

यूपीएससी ईपीएफओ मासिक सामयिकी जून 2020